मॉड्यूल

लैंगिक भेदभाव और महिला हिंसा की रोकथाम पर पंचायत प्रतिनिधियों की क्षमताबृद्धि

समर्थन

UNFPA

लैंगिक भेदभाव और महिला हिंसा की रोकथाम पर पंचायत प्रतिनिधियों की क्षमतावृद्धि

स म र्थ न

UNFPA

अनुक्रमणिका

क्र.	विषय–वस्तु	पृष्ठ क्रमांक
1.	मॉड्यूल के बारे में	01
2.	सहजकर्ता के लिये मार्गदर्शी बिंदु	01
3	बैठक की शुरूआत	01
4	बैठक का समापन	02
बैठक – 1	महिला सुरक्षा एवं पंचायतों की भूमिका	03
बैठक – 2	महिला हितैषी पंचायत की समझ	07
बैठक – 3	सेक्स और जेंडर	10
बैठक – 4	सत्ता एवं पितृसत्ता	14
बैठक – 5	महिला हिंसा के विभिन्न रूप एवं प्रभाव	18
बैठक – 6	महिला सुरक्षा के लिये सेफ्टी ऑडिट	23
बैठक – 7	पंचायत की विकास योजना और महिलाओं के मुद्दे	26
बैठक – 8	महिलाओं के लिये संचालित प्रमुख कार्यक्रम एवं योजनायें	29
बैठक – 9	घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005	32
बैठक – 10	लैंगिक भेदभाव एवं कुप्रथाओं की रोकथाम संबंधी प्रमुख कानून	36
बैठक – 11	हिंसा पीड़ित महिलाओं के सहयोग हेतु संचालित संस्थाएं	42
अनुलगनक–1	महिलाओं एवं लड़कियों के लिये संचालित प्रमुख योजनायें	44

मॉड्यूल के बारे में

पंचायती राज अधिनियम के तहत ग्राम पंचायतों को अपने क्षेत्र के आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजना बनाने और उसे लागू करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी व अधिकार दिया गया है। इसके अलावा अधिनियम की विभिन्न धाराओं के प्रावधानों में महिलाओं की सुरक्षा और उनके कल्याण की बात भी कही गई है। लेकिन अधिकांश पंचायत प्रतिनिधियों को इन कानूनी प्रावधानों की संवेदनशीलता, समझ और सही व पूर्ण जानकारी नहीं होने से, पंचायत में महिलाओं और उनकी आवश्यकताओं को उतना महत्व नहीं मिल पाता जितना कि मिलना चाहिये। यह मॉडयूल महिलाओं की सुरक्षा एवं कल्याण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर पंचायत प्रतिनिधियों की क्षमतावृद्धि हेतु तैयार किया गया है। मॉडयूल का उपयोग कर हर माह होने वाली पंचायत की बैठकों में किसी एक विषय पर पंचायत प्रतिनिधियों को जानकारी प्रदान की जायेगी। जिसके तहत महिलाओं के लिये संचालित विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रम, सेक्स और जेंडर में अंतर, लैंगिक भेदभाव, महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा के विभिन्न रूप और हिंसा एवं भेदभाव की रोकथाम हेतु लागू विभिन्न कानून, महिला हिंसा की रोकथाम में पंचायत व समूह/संगठन की भूमिका से जुड़ी जानकारियों को मॉड्यूल में शामिल किया गया है। आशा है यह प्रक्रिया महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा एवं कल्याण के संदर्भ में पंचायतों में स्वस्थ्य वातावरण बनाने और एक बड़ा बदलाव लाने में मददगार साबित होगी।

सहजकर्ताओं के लिये मार्गदर्शी बिन्दु

- सहजकर्ता बैठक से पूर्व मॉडयूल में दी गई विषय–वस्तु और बैठक संचालन प्रक्रिया का ठीक से अध्ययन कर लें।
- बैठक संचालन से संबंधित सभी जरूरी सामग्रियों की एक दिन पहले सूची तैयार कर लें तथा इन्हें साथ ले जाना न भूलें।
- यदि बैठक में वीडियो दिखाना हो तो, पहले से अपने पास डाउनलोड करके रखें।
- बैठक के दौरान सहभागियों की प्रतिक्रिया और विचारों का सम्मान करें तथा किसी भी प्रकार की नकारात्मक टिप्पणी न करें ।
- चर्चा को विषय पर केन्द्रित रखें तथा सहभागी बनायें।
- पंचायत प्रतिनिधियों की सहभागिता से बैठक की दिनांक व समय का निर्धारण करें।
- सहजकर्ता बैठक रिपोर्ट जरूर तैयार करें, इस हेतु मदद के लिये सहजकर्ता किसी सहभागी सदस्य को चर्चा के प्रमुख बिंदु नोट करने की जिम्मेदारी सौंप सकते हैं।

बैठक की शुरूआत

किसी भी बैठक को प्रभावी बनाने के लिए उसकी अच्छी शुरूआत करना जरूरी होता है। अतः सहजकर्ता बैठक की शुरूआत करने के लिए इन बिन्दुओं पर ध्यान दें –

- बैठक की शुरूआत सहभागियों के मौखिक स्वागत के साथ करें। शुरूआत में कोई बदलावकारी

सामाजिक गीत का सामूहिक गान कराया जा सकता है। इससे सदस्यों में सामूहिकता का वातावरण निर्मित होगा तथा जिन सदस्यों को किसी कारणवश पहुंचने में देरी हो गई है उन्हें भी पहुंचने के लिये समय मिल सकता है।

- परिचय सत्र को रोचक बनाने के लिये अलग–अलग विधियों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे प्रकृति द्वारा बनायी गई चीजों से, खाने की चीजों से, पशुओं के नाम के साथ अपने को जोड़ते हुए सहभागियों को अपना परिचय देने के लिये कहें।
- बैठक में जिस मुद्दे या विषय पर चर्चा की जानी है, उसके महत्व से अवगत करायें।
- प्रत्येक बैठक में पिछले माह बनायी गई सहभागी कार्ययोजना की समीक्षा अवश्य करें।

बैठक का समापन

बैठक का समापन, बैठक में की गई चर्चा और लिए गए निर्णयों का सार होता है। अतः सहजकर्ता बैठक के समापन के समय इन बातों का ध्यान रखें –

- सहभागियों को बैठक से मिली सीख व जानकारियों को प्रस्तुत करने का अवसर दें।
- बैठक में हुई चर्चाओं तथा लिए गए निर्णयों का दोहराव करें। यानी उन्हें फिर से बताएं।
- फील्डवर्क के लिए बनी योजना को पक्का करें तथा सदस्यों को दी गई जिम्मेदारियों का दोहराव करें।
- बैठक के समापन से पहले अगली बैठक की तारीख एवं समय तय करें।
- हर माह की बैठक का अनौपचारिक मूल्यांकन अवश्य करें।

बैठक – 1

महिला सुरक्षा एवं पंचायतों की भूमिका

- पंचायती राज अधिनियम में महिला हिंसा की रोकथाम, सुरक्षा और कल्याण से संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत पंचायतों की भूमिका से अवगत कराना।

समयावधि : 2 घंटा

बैठक संचालन प्रक्रिया के चरण

- सामाजिक बदलाव पर कोई गीत का सामूहिक गान
- सहभागियों का परिचय
- अभ्यास के माध्यम से महिलाओं की सुरक्षा के संबंध में पंचायतों की भूमिका पर समझ बनाना
- पंचायती राज अधिनियम में महिला हिंसा की रोकथाम संबंधी प्रमुख प्रावधान

सहभागियों का परिचय

चूंकि यह श्रृंखलाबद्ध क्षमतावृद्धि कार्ययोजना की पहली बैठक है इसलिये सभी सहभागियों का परिचय जरूरी है। परिचय को रोचक बनाने के लिये सहभागियों को किसी प्राकृतिक चीज जैसे – पेड़, पहाड़, जंगल इत्यादि से अपने चरित्र/व्यवहार को जोड़कर परिचय देने के लिये कहें। साथ ही उन्हें यह भी बताने के लिये कहें कि उस चीज में और स्वयं में वे क्या समानता देखते हैं। सहजकर्ता इस बात का अवलोकन करें कि प्रतिभागी अपने को प्रकृति की किन–किन चीजों से जोड़कर अपना परिचय देते हैं। इस बात का अवलोकन करें कि, क्या महिला प्रतिभागियों ने स्वयं को कोमल, सुन्दर वस्तुओं से जोड़कर अपना परिचय दिया है?

सत्र का उद्देश्य

73 वें संविधान संशोधन के माध्यम से ग्राम पंचायतों को स्थानीय स्वशासन की इकाई का दर्जा दिया गया है। इसमें पंचायतों को क्षेत्र में आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय की योजना बनाने एवं उसे लागू करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। लेकिन जाने अनजाने में अधिकांश पंचायतें अधोसंरचनात्मक विकास में उलझ कर रह जाती हैं। जबकि अपने क्षेत्र के लोगों का सामाजिक विकास, हर वर्ग, जाति, धर्म के महिला–पुरूषों को न्याय दिलाना भी पंचायतों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। देश की आबादी में लगभग आधी संख्या महिलाओं की है, इन्हें विकास से दूर रखकर पंचायत, प्रदेश और देश का विकास संभव नहीं है। पंचायतें विभिन्न सामाजिक बुराईयों, कुरीतियों को समाप्त कर एक स्वस्थ्य सामाजिक वातावरण का निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। आज की बैठक में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे।

महिला हिंसा की रोकथाम में पंचायत की भूमिका

- परिचय के बाद सहभागियों से पूछें कि – सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिये कौन–कौन सी सुविधायें, नियम एवं कानून लागू किये हैं ?
- सहभागियों द्वारा दिये गए जवाबों को चार्ट पेपर पर नोट करते जायें।

सुविधायें, नियम/कानून के उदाहरण	सहजकर्ता हेतु निर्देश
✸ कानून जैसे – बाल विवाह निषेध, दहेज निषेध अधिनियम आदि	✸ सहभागियों से पूछें कि इनमें से किन–किन सुविधाओं, नियमों और कानूनों का उनकी पंचायत में पालन या क्रियान्वयन हो रहा है?
✸ कार्यक्रम/सुविधायें जैसे – आंगनवाड़ी केन्द्र, आरोग्य केन्द्र आदि	✸ क्या पंचायत ने भी अपने स्तर पर कुछ नियम बनाये हैं? जैसे अन्य सरकारों ने बनाये हैं।
✸ बहुत सी ऐसी संस्थायें हैं जो केवल महिला मुददों को देखती हैं, जैसे – महिला आयोग, महिला पुलिस शाखा इत्यादि	✸ क्या पंचायत भी गांव की सरकार हो सकती है?

- जिस प्रकार केन्द्र सरकार पूरे देश और राज्य सरकार राज्य के सभी लोगों के लिये काम करती है, ठीक वैसे ही पंचायतें तीसरी सरकार के रूप में समस्त नागरिकों के लिये काम करती है।
- 73 वें संविधान संशोधन के जरिये पंचायतों को स्थानीय स्वशासन की इकाई माना गया है। स्थानीय स्वशासन का मतलब यह है कि पंचायतें संविधान और अधिनियम की परिधि में वे सभी काम कर सकती है जो लोगों के जीवन जीने के अधिकार के लिए जरूरी है।
- महिला हिंसा मानव अधिकार और जीवन जीने के अधिकार का हनन करती है। इसलिए ग्राम पंचायत और ग्रामसभा का यह स्वतः दायित्व एवं अधिकार है कि वह महिला हिंसा की रोकथाम की योजना बनाए। इसके लिए उपाय तलाशे और उन उपायों को लागू करे।

भाग–1 : पंचायती राज अधिनियम में महिला सुरक्षा से संबंधित प्रमुख धाराएं एवं प्रावधान

धारा 49(क)(1) पंचायत क्षेत्र के आर्थिक विकास तथा सामाजिक न्याय के लिए योजना बनाना। धारा 49(क)(2) बिना किसी भेदभाव के सभी जरूरतमंद लोगों को योजनाओं का लाभ दिलाना।	✸ महिलाओं पर होने वाली हिंसा सामाजिक न्याय के विरूद्ध है। ✸ महिला हिंसा मुक्त पंचायत बनाना सामाजिक न्याय के दायरे में आता है। ✸ इसके लिए ग्राम पंचायत को ऐसी योजना बनानी चाहिए, जिससे हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा हो सके तथा महिलाओं के लिए सुरक्षित पंचायत कायम हो सके। ✸ गांव के असुरक्षित रास्तों को सुरक्षित बनाना।
धारा 7 ञ (ग्रामसभा की शक्ति) दहेज एवं इस तरह की अन्य सामाजिक बुराईयों को दूर करना।	✸ इसके लिए ग्राम सभा नियम बना सकती है, इन नियमों को लागू करने की योजना बना सकती है। ✸ दहेज एवं अन्य रूढ़ियों के विरूद्ध जागरूकता अभियान संचालित कर सकती है। ✸ किशोरी बालिकाओं एवं महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु विभिन्न कार्यक्रमों की योजना बना सकती है।
धारा 7 ड (ग्रामसभा की शक्ति) बुनियादी सुविधाओं की योजना बनाना।	✸ उन सुविधाओं को चिन्हित करना, जिनसे महिलाओं को सुरक्षा मिल सके, जैसे : स्ट्रीट लाईट, घर–घर शौचालय, आने–जाने के रास्तों को बेहतर एवं सुरक्षित बनाना, बालिकाओं के स्कूल जाने वाले रास्तों को सुरक्षित बनाना, आदि।
धारा 7 ज (ग्रामसभा की शक्ति) सामुदायिक कल्याण कार्यक्रमों के लिए लोगों को गतिशील करना।	✸ इस प्रावधान की व्यापक व्याख्या की जा सकती है। महिला हिंसा रोकने के संदर्भ में ग्रामसभा एक ऐसी समिति बना सकती है, जो महिला हिंसा रोकने एवं महिला सुरक्षा की दिशा में सक्रिय हो। ✸ ग्रामसभा शौर्यदल को सक्रिय बनाने की पहल भी कर सकती है।
धारा 54 सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुविधाएं और सुरक्षा बाबत ग्राम पंचायत की शक्ति।	✸ ग्राम पंचायत अपने पंचायत क्षेत्र में ऐसी वस्तुओं के बेचने/खरीदने पर प्रतिबंध लगा सकती है जिनका उपयोग महिलाओं एवं लोगों को

घृणोत्पादक या खतरनाक वस्तुओं के व्यापार को विनियमित करने की पंचायत की शक्ति।	नुकसान पहुंचाने के लिए किया जा सकता है, जैसे – एसिड एवं नशे वाले पदार्थ।
धारा 40(क)(3) राज्य सरकार या विहित प्राधिकारी जांच के बाद किसी पदाधिकारी को पद से हटा सकेगा, यदि उसके कार्य एवं व्यवहार से महिलाओं के सम्मान पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।	✸ धारा 40 और उसकी उप–धाराओं में पंचायत प्रतिनिधियों को पद से हटाने के कई प्रावधानों में यह भी शामिल है। ✸ कोई भी पुरूष पंच या सरंपच महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करता है तो उसे पद से हटाया जा सकता है।
धारा 129(ग)(1) पेसा क्षेत्र में ग्रामसभा की शक्तियां ग्रामसभा को व्यक्तियों की परंपराओं, रूढ़ियों, उनकी सांस्कृतिक पहचान और सामुदायिक संसाधनों के संरक्षण का अधिकार। आपसी विवादों के निराकरण का अधिकार। अविवादित भूमि के नामांतरण एवं बंटवारे का अधिकार।	✸ पेसा क्षेत्र की ग्रामसभा को व्यापक अधिकार है। यहां ग्रामसभा घरेलू हिंसा रोकने, सुलह करवाने एवं घर के बाहर महिलाओं की सुरक्षा हेतु नियम बना सकती है। ✸ ग्राम सभा महिलाओं को भूमि पर स्वामित्व के लिये प्रोत्साहित कर सकती है।

पंचायत की भूमिका

सहभागियों को बतायें कि महिलाओं की सुरक्षा एवं कल्याण से जुड़े इतने महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधानों के बावजूद, जानकारी के अभाव या अन्य कारणों से इन प्रावधानों पर ज्यादातर पंचायतों का ध्यान नहीं जाता। अब चूंकि आप इन प्रावधानों के बारे में जान चुके हैं, तो वे कौन से दो प्रावधान हैं जिन पर आपकी पंचायत सबसे पहले काम करना चाहेगी। आगे दिए गए प्रपत्र अनुसार आगामी एक माह की कार्ययोजना बनवाएं।

आगामी एक माह की कार्ययोजना

पंचायत :	दिनांक : .....

कानूनी प्रावधान जिन पर काम करेंगे	क्या करेंगे	कैसे करेंगे	कौन करेगा

नोट: सहभागियों को बताएं कि अगले माह की बैठक में उपरोक्त कार्ययोजना में शामिल कार्यों की प्रगति की सामूहिक समीक्षा की जाएगी।

✸ आगामी बैठक की तारीख, स्थान एवं समय का निर्धारण कर बैठक का समापन करें।

बैठक – 2

महिला हितैषी पंचायत की समझ

- महिला हितैषी पंचायत पर समझ बनाना।
- महिला हितैषी पंचायत का आकलन कर सुधार की योजना बनाना।

समयावधि : 2 घंटा

बैठक संचालन प्रक्रिया के चरण

- सामाजिक बदलाव पर कोई गीत का सामूहिक गान
- पिछली बैठक में तय किये गये कार्यों के प्रगति की समीक्षा
- महिला हितैषी पंचायत के संकेतांक तैयार करना।
- तय संकेतांकों पर महिला हितैषी पंचायत का आकलन करना।
- जिन संकतांकों पर पंचायत की प्रगति कमजोर है, सुधार की योजना बनाना।

विगत माह बनायी गई कार्ययोजना की समीक्षा

सर्वप्रथम पिछली बैठक में तय किये गये कार्यों के प्रगति की समीक्षा करें, क्या हो पाया ? क्या नहीं हो पाया? किस तरह की समस्या आयी? इस पर चर्चा करें।

सत्र का उद्देश्य

महिलाओं पर हिंसा के आंकड़े बताते हैं कि देश में महिलाओं के जीवन के अधिकार के साथ–साथ, उनका गरिमा और सम्मान के साथ जीने का हक भी असुरक्षित है। इस तरह की घटनाएं न सिर्फ शहरी क्षेत्रों में बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी तेजी से बढ़ी हैं। ऐसे क्या कारण हैं कि आज हम महिलाओं या लड़कियों को घर से बाहर अकेले भेजने से डरते हैं। क्या हमने कभी इस बारे में सोचा है कि ऐसा क्यों है? क्या हमने कभी ये जानने का प्रयास किया कि हमारी पंचायत में महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा की स्थिति कैसी है? आज की बैठक में हम एक समूह अभ्यास के माध्यम से जानेंगे कि हमारी पंचायत महिलाओं और लड़कियों के प्रति कितनी संवेदनशील या सुरक्षित है।

समूह अभ्यास

- सहभागियों से पूछें कि, आप किस आधार पर कहेंगे कि उनकी पंचायत महिला हितैषी है या महिलाओं के हित में काम करती है। क्या इसे मापने के लिये हम कुछ बिंदु तय कर सकते हैं? जिनके आधार पर हम जांच सकें और कह सकें कि हमारी पंचायत महिलाओं के प्रति कितनी संवेदनशील है या महिलाओं के हित में काम करती है।
- सहभागी इस बारे में सोच पायें इसके लिए सहजकर्ता कुछ उदाहरण भी दे सकते हैं, जैसे – पंचायत में किसी भी घर में महिला के साथ मारपीट या दुर्व्यवहार नहीं होता है, इसका मतलब है पंचायत ने महिलाओं के साथ होने वाली घरेलू हिंसा की रोकथाम के लिये कुछ नियम बनाकर लागू किए हैं, जिसके कारण घरेलू हिंसा की घटनाएं नहीं होती हैं अथवा पंचायत में इसकी निगरानी व्यवस्था है।
- सहभागियों द्वारा बताए गए बिंदुओं को सूचीबद्ध करते जाएं।
- अब सहभागियों को बतायें कि आपके द्वारा बताए गए बिंदुओं पर पंचायत की स्थिति देखने के लिए हम स्कोरिंग पद्धति का उपयोग करते हैं। प्रत्येक बिंदु पर 1 से 5 तक स्कोरिंग करेंगे, इसका मतलब जिन बिंदुओं पर पंचायत की स्थिति अच्छी है 1 स्कोर देंगे तथा जिन पर बहुत खराब है तो 5 स्कोर देंगे। यदि बीच की कोई स्थिति है तो सामूहिक निर्णय के आधार स्कोर देंगे।
- 1 यानी बहुत अच्छा और 5 यानी बहुत खराब।

नोट: नीचे दी गई तालिका सांकेतिक है, सहजकर्ता पहले सहभागियों से ही संकेतांक तय करने का प्रयास करें, बाद में तालिका में दिये गए संकेतांक में से कोई संकेतांक छूट गया हो और जरूरी हो तो, सहभागियों की सहमति से शामिल करें।

पंचायत :	दिनांक : .....
संकेतांक	**स्कोर (1 से 5 के बीच)**
महिला हितैषी पंचायत अर्थात महिलायें गांव के सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षित महसूस करती हैं।	
महिला एवं किशोरियां परिवार में होने वाली हिंसा से मुक्त हैं।	
महिलाओं के लिये सरकारी सुविधायें जैसे आंगनवाडी, स्कूल इत्यादि का उचित संचालन किया जा रहा है।	
महिलाओं एवं बालिकाओं से संबंधित प्रमुख योजनायें जैसे लाड़ली लक्ष्मी, छात्रवृत्ति, विधवा पेंशन आदि का सभी पात्रों को लाभ मिल रहा है।	
पंचायत एवं ग्रामसभा की बैठकों में महिलाओं की भागीदारी रहती है।	
ऐसी सामाजिक कुप्रथायें जो सीधे तौर पर महिलाओं को प्रभावित करती हैं, जैसे – बाल विवाह, दहेज आदि पंचायत में पूरी तरह प्रतिबंधित हैं।	

- प्रत्येक संकेतांक पर सहभागियों द्वारा दिये गये स्कोर पर चर्चा करें कि उन्होंने किन तथ्यों के आधार पर किसी भी बिंदु पर कम या अधिक स्कोर दिया है।

पंचायत की भूमिका

उपरोक्त अभ्यास से बहुत से ऐसे काम निकल कर आ सकते हैं, जो पंचायत को महिला हितैषी बनाने के लिये करने की आवश्यकता होगी। इसमें कुछ समुदाय स्तर के होंगे और कुछ पंचायत स्तर के, लेकिन बिना पंचायत की सक्रियता और सहयोग के यह संभव नहीं है। जरूरी नहीं है कि जो काम निकलकर आएं सभी में पैसे की आवश्यकता हो, बहुत से ऐसे काम हो सकते हैं जिनमें पैसे की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वे भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने कि पैसे वाले काम हैं।

आगामी एक माह की कार्ययोजना

- महिला हितैषी पंचायत के जिन बिंदुओं या संकेतांक पर पंचायत की प्रगति ठीक नहीं है, उनमें से दो या तीन बिंदुओं पर सुधार के लिये आगामी एक माह की कार्ययोजना बनायें।

पंचायत :	दिनांक :		
बिंदु या संकेतांक	**सुधार की आवश्यकता**	**कैसे होगा**	**कौन करेगा**

- आगामी बैठक की तारीख, स्थान एवं समय का निर्धारण कर बैठक का समापन करें।

बैठक – 3

सेक्स और जेंडर

- सेक्स और जेण्डर के भेद से अवगत कराना।
- लैंगिक भेदभाव के चलते महिलायें समाज में क्यों और कैसे पीछे छूट जाती हैं इसके कारणों पर समझ बनाना।

समयावधि : 2 घंटा

बैठक संचालन प्रक्रिया के चरण

- सामाजिक बदलाव पर कोई गीत का सामूहिक गान
- पिछली बैठक में तय किये गये कार्यों के प्रगति की समीक्षा
- खेल के माध्यम से सेक्स और जेंडर के बीच अंतर पर समझ

विगत माह बनायी गई कार्ययोजना की समीक्षा

सर्वप्रथम पिछली बैठक में तय किये गये कार्यों के प्रगति की समीक्षा करें, क्या हो पाया ? क्या नहीं हो पाया? किस तरह की समस्या आयी? इस पर चर्चा करें।

सत्र का उद्देश्य

प्रकृति ने महिला एवं पुरूष में सिर्फ जननांगों का अंतर रखा है, लेकिन पुरूषवादी समाज ने इस अंतर को अलग रूप देते हुए महिला–पुरूष के बीच कई भेदभाव पैदा कर महिलाओं को उनके विकास और अधिकारों से वंचित किया है। समाज में महिलाओं के साथ खानपान, रहन–सहन, कामकाज, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच, सम्पत्ति पर हक जैसे मुददों पर गैर बराबरी आम है। यह गैर बराबरी किसी बच्ची के मां के गर्भ में आते ही शुरू हो जाती है। कई बार यह गैर बराबरी हिंसा में भी बदल जाती है। पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था में सारे निर्णय चाहे पारिवारिक हो या सामाजिक अधिकांशतः पुरूषों के द्वारा लिये जाते हैं। यह व्यवस्था महिलाओं को आगे बढ़ने के अवसरों को सीमित करती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस व्यवस्था को

बदला नहीं जा सकता, इसमें बदलाव संभव है और इसमें पंचायतों की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। आज की बैठक में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे।

आइये एक खेल के माध्यम से सेक्स और जेंडर के भेद को समझते हैं

खेल का नाम है – कमल और कमली का जन्म

- सहभागियों में से कोई 4 सहभागियों को स्वेच्छा से आगे आने के लिये कहें।
- बैठने की जगह के बीचों–बीच (चॉक या रस्सी से) एक लाइन बनाएं और उन चारों को इस लाइन के ऊपर खड़े होने के लिये कहें।
- उन्हें बतायें कि एक घर में लड़का हुआ है और दूसरे घर में लड़की। चारों लोग मिलकर तय कर लें कि कौन लड़के के मां–बाप हैं और कौन लड़की के।
- बाकी सदस्यों से पूछें कि जन्म से मृत्यु तक जीवन के प्रमुख चरण क्या–क्या हैं, जैसे –जन्म, उसके बाद छः दिन, छह महीने, छः साल, बारह–तेरह साल, अठारह साल, पच्चीस साल की उम्र के बाद इत्यादि।
- हर चरण पर प्रतिभागी अपनी टिप्पणी दें। वह बताएं कि इस उम्र में लड़का–लड़की, महिला–पुरूष के नजरिये से क्या होता है (नीचे कुछ उदाहरण दिए हैं)। जिसके अनुसार बीच में खड़े लड़का–लड़की के मां–बाप आगे बढ़ें या रूके रहें।
- प्रत्येक चरण में जो मुख्य घटना होती है, उस पर बातचीत हो। उसमें जिसे शाबाशी या सुविधा मिलती है, वह लाइन से एक कदम आगे आएं और जिन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ता है, वे लाइन से एक कदम पीछे जाएं।

उदाहरण के लिए कुछ प्रश्न हैं : (सहजकर्ता स्वयं भी अन्य प्रश्न बना सकते हैं) इनके जवाबों पर बातचीत हो, जिनके अनुसार बीच में खड़े दोनों जोड़े आगे बढ़ सकते हैं या पीछे हट सकते हैं।

- लड़का या लड़की के जन्म के समय क्या–क्या होता है?
- अन्नप्राशन के समय किसके साथ क्या होता है?
- स्कूल जाने के पहले और आने के बाद लड़का और लड़की क्या करते हैं? दोनों के साथ कैसा व्यवहार होता है?
- बारह–तेरह वर्ष की आयु होने पर लड़का और लड़की में कुदरती अंतर क्या होता है? इस समय परिवार और समाज का रवैया दोनों के प्रति क्या होता है? उन्हें क्या–क्या सुनने को मिलता है?
- सोलह–सत्रह साल की उम्र में लड़का और लड़की के जीवन में क्या बदलाव आते हैं?
- शादी के बाद, अलग–अलग व्यवहार के कारण उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है?

सभी सहभागियों से अपनी जगह पर बैठने के लिये कहें और नीचे दिये गए सवालों के आधार पर चर्चा को आगे बढ़ायें।

खेल पर चर्चा हेतु कुछ सवाल

- क्या लड़की की मां और लड़के की मां के अनुभव अलग–अलग हैं?
- क्या दोनों के साथ समान व्यवहार किया जाता है?
- अगर अलग बर्ताव होता है तो ऐसा क्यों हैं?
- ये भेदभाव माताओं और बच्चों को शारीरिक और मानसिक रूप से किस तरह प्रभावित करते हैं?
- बेटा और बेटी के बीच कौन–कौन भेदभाव करता है?

चर्चा के दौरान सहभागियों को स्वयं के अनुभवों को साझा करने के लिये प्रोत्साहित करें। उनके घर, परिवार, सामज में क्या होता है – इन्हें जोड़े। यह स्पष्ट करें कि उनके खुद के जीवन से ही साफ हो सकता है कि औरत–मर्द के भेदभाव को जिंदगी के हर चरण में अलग–अलग तरीके से बनाया और मजबूत किया जाता है। विभिन्न जाति, धर्म, वर्ग और स्थान पर औरतों के लिए भेदभाव के रूप अलग–अलग हो सकते हैं। कोई एक कायदा सब पर लागू हो – यह जरूरी नहीं।

- सहजकर्ता नीचे दी गई सेक्स और जेंडर के बीच अंतर की जानकारी सहभागियों के साथ साझा करें।

सेक्स और जेंडर के बीच अंतर

प्राकृतिक फर्क या सेक्स	सामाजिक फर्क या जेंडर
पैदाइशी और शारीरिक है	समाजिक और सांस्कृतिक है और समाज द्वारा बनाया गया है
सेक्स हर समाज में एक ही रहता है	एक सोच है जो स्त्री–पुरूष के गुण,व्यवहार, भूमिका, अधिकार आदि को गढ़ता है।
स्त्री– पुरूष, किन्नर के प्राकृतिक फर्क को बताता है	प्राकृतिक फर्क को ऊंच–नीच का दर्जा दे देता है
सामान्यतः बदला नहीं जा सकता (कभी कभार ऑपरेशन द्वारा बदला जाता है)	देश, समाज, परिवार, धर्म,संस्कृति और समय के आधार पर बदलता रहता है

पंचायत की भूमिका

यदि सहभागियों को लगता है कि उनकी पंचायत में भी लड़का–लड़की और महिला–पुरूषों के बीच गैर बराबरी होती है, तो इस बात पर विचार करें कि इसे समाप्त करने के लिये पंचायत, क्या कर सकती है? क्या पंचायत अपने क्षेत्र में लड़कियों और महिलाओं के लिये अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध करा सकती है, जैसे –

- किशोरियों को नियमित स्कूल जाने के लिये प्रोत्साहित करना।
- स्कूलों में लड़कियों के लिये अलग शौचालय की व्यवस्था और रखरखाव।

- महिलाओं से मारपीट करने वाले परिवारों पर दबाव बनाना।
- बाल विवाह और दहेज के लेनदेन पर प्रतिबंध लगाना।
- लड़कियों के जन्म पर अतिरिक्त उत्सव / प्रोत्साहन देना।

आगामी एक माह की कार्ययोजना

- पंचायतों में मौजूद कोई ऐसी दो कुप्रथायें जो लड़का–लड़की और महिला–पुरूषों के बीच गैर बराबरी या भेदभाव को बढ़ावा देती हैं, की रोकथाम के लिये आगामी एक माह की कार्ययोजना बनायें।

पंचायत :	दिनांक : .....

कुप्रथा	कैसे होगा	कौन करेगा

- आगामी बैठक की तारीख, स्थान एवं समय का निर्धारण कर बैठक का समापन करें।

बैठक – 4

सत्ता एवं पितृसत्ता

- सत्ता और पितृसत्ता पर पंचायत प्रतिनिधियों की समझ बनाना
- पितृसत्ता महिलाओं को उनके मूलभूत अधिकारों और विकास में बाधक है, इससे अवगत कराना

समयावधि : 2 घंटा

बैठक संचालन प्रक्रिया के चरण

- सामाजिक बदलाव पर कोई गीत का सामूहिक गान
- पिछली बैठक में तय किये गये कार्यों के प्रगति की समीक्षा
- नाटक के माध्यम से सत्ता और पितृसत्ता की समझ
- वीडियो के माध्यम से समाज और पंचायत में महिलाओं की स्थिति पर समझ

विगत माह बनायी गई कार्ययोजना की समीक्षा

सर्वप्रथम पिछली बैठक में तय किये गये कार्यों के प्रगति की समीक्षा करें, क्या हो पाया ? क्या नहीं हो पाया? किस तरह की समस्या आयी? इस पर चर्चा करें।

सत्र का उद्देश्य

सत्ता यानी दूसरों पर नियंत्रण करना इंसान की सामान्य प्रवृत्ति मानी जाती है। स्त्री हो या पुरूष, हर कोई अन्य लोगों पर अपना प्रभुत्व जमाए रखना चाहता है। एक खास तबके का बर्चस्व बना रहे इसके लिए समाज के अन्य वर्गों पर नियंत्रण रखना जरूरी हो जाता है। इसका जाति, लिंग, धर्म, अमीरी–गरीबी के आधार पर दुरूपयोग किया जाता है। सत्ता और नियंत्रण किसी के हाथ में भी हो सकता है – स्त्री हो या पुरूष।

पितृसत्तात्मक समाज में यह सत्ता पुरूष के माध्यम से चलती है। हमारा सामाजिक ताना–बाना कुछ इस तरह का है कि परिवार का मुखिया पुरूष ही होगा, चाहे वह बड़ा हो या छोटा। इसमें पुरूषों को ज्यादा हक दिये जाते है और महिलाओं को उनके हकों से दूर रखा जाता है। इस व्यवस्था में स्त्री तथा पुरूष को समाज

द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसार चलना पड़ता है। इस व्यवस्था में पारिवारिक, सामाजिक, राजनैतिक सभी क्षेत्रों में नियंत्रण करने, निर्णय लेने और अपना अधिकार जताने की शक्ति पुरूषों के पास है। धर्म, समाज और रूढ़िवादी परंपरायें पितृसत्ता को और ताकतवर बनाती हैं। सहजकर्ता छतरपुर में जाति, लिंग के आधार पर किस तरह सत्ता का दुरूपयोग होता है, उदाहरण भी साझा कर सकते हैं।

आइये एक नाटक से सत्ता और पितृसत्ता को समझते हैं

नाटक का नाम है 'बेटी की शादी'

- सहभागियों में से दो सहभागियों को लड़के के मां–बाप और दो को लड़की के मां–बाप की भूमिका निभाने के लिए आमंत्रित करें। इसके अलावा दोनों तरफ से दो–दो सहभागियों को लड़का और लड़की पक्ष के रिश्तेदार की भूमिका निभाने की जिम्मेदारी भी दी जा सकती है।
- नाटक के पात्रों को अलग ले जाकर उन्हें, उनकी भूमिका से अवगत करायें। ऐसा करने से शेष सहभागियों में नाटक के प्रति उत्साह बना रहेगा।
- स्थिति यह है कि लड़की की शादी तय होनी है, लड़का–लड़की के मां–बाप अपने–अपने रिश्तेदारों के साथ इकट्ठा हुए हैं। शादी में बारातियों के स्वागत से लेकर दहेज आदि पर बात की जा रही है। कई निर्णयों में लड़की के मां–बाप गिड़गिड़ाए लेकिन उनकी एक न चली और सभी निर्णय लड़के वालों के पक्ष में लिए गए। लड़की की सहमति या मर्जी की किसी को चिंता नहीं है। यहां तक की लड़की के मां–बाप को भी नहीं। लड़की के मां–बाप को चिंता है तो बस इतनी कि बारातियों की आवभगत अच्छी हो जाये और लड़के वालों की मांग अनुसार दहेज दे दिया जाए। नहीं तो, परिवार और गांव की बदनामी होगी।
- नाटक की समाप्ति पर सहभागियों से निम्न बिंदुओं पर सवाल पूछें –
  - निर्णय कौन ले रहा था ?
  - क्या निर्णय में दोनों पक्ष की सहमति थी ?
  - ज्यादातर निर्णय किनके पक्ष में लिए गए ?
  - क्या लड़की जिसके पूरे जीवन का सवाल है, उसकी मर्जी ली गई ?

सहभागियों से पूछें कि नाटक में आपने जो देखा, क्या सार्वजनिक जीवन में भी ऐसा ही होता है? परिवार और समाज के निर्णय सदैव पुरूष ही लेते हैं और निर्णय भी उन्हीं के पक्ष में रहते हैं। हर प्रकार के संसाधनों पर पुरूषों का नियंत्रण है – चाहे वह पैसे, जमीन–जायदाद से संबंधित हो, इंसानी श्रम हो, शिक्षा हो, पद हो, औरत की प्रजनन शक्ति हो। सत्ता बनी–बनाई भावना नहीं है, व्यक्ति, समय और समाज के अनुसार बदलती रहती है।

वीडियो प्रदर्शन : समाज और पंचायत में महिलाओं की स्थिति

- प्रशिक्षक मोबाइल, लेपटॉप या प्रोजेक्टर के माध्यम से नीचे दी गई लिंक खोलकर वीडियो को प्रदर्शित करें। बेहतर होगा इन वीडियो को पहले से डाउनलोड करके रखें।

- सहजकर्ता एक–एक कर तीनों वीडियो सहभागियों को दिखायें और उन्हें पहले से बता दें कि जो वीडियो आपको दिखाये जा रहें हैं, बाद में इन पर आपसे कुछ सवाल पूछे जायेंगे। इसलिये वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें।

वीड्यिो लिंक :
https://youtu.be/oxBLT1--0Eg
https://youtu.be/gqLvf8NxOLw
https://youtu.be/BvrnUinOjpU

- उपरोक्त तीनों वीडियो दिखाने के बाद सहजकर्ता सहभागियों से पूछें कि–

- आपने इन वीडियो में क्या देखा? क्या समाज में सत्ता पुरूषों के पास है?
- महिला सरपंच के झंडा फहराने पर उसको कैसा अनुभव हुआ होगा ? क्या पंचायत में झंडा फहराने से उस महिला का ओहदा बदलेगा?
- पंचायतों में महिलाओं के लिये कितने प्रतिशत आरक्षण है ?
- क्या आरक्षित सीटों पर चुनी गई महिलाओं को स्वतंत्र रूप से जिम्मेदारी संभालने का मौका दिया जाता है?
- ग्रामसभाओं में अगर महिलायें आती हैं तो उनकी भागीदारी कैसी होती है ?
- क्या करने की आवश्यकता है ?
- दोनों महिलाओं (दादियों) के पास बंदूक चलाने का हुनर था और वे मेडल जीतते जा रही थी लेकिन यह बात उन्हें अपने परिवार से छुपानी पड़ रही थी और परिवार को पता चलने पर दोनों के साथ मारपीट एवं विवाद की स्थिति पैदा हो जाती है।
- क्या समाज में ऐसा ही होता है?
- क्या बहुत सी चुनी हुई महिला प्रतिनिधि (सरपंच, पंच) प्रतिभावान हो सकती हैं और संभवतः अपनी पंचायतों में अच्छा काम कर सकती हैं ?

चर्चा के माध्यम से यह स्थापित करने का प्रयास करें कि पंचायतों और ग्राम सभाओं में महिलाओं की स्थिति को सुधारने की आवश्यकता है ताकि उनके मुद्दों पर चर्चा हो सके तथा उन्हें उचित स्थान दिलाया जा सके।

पंचायत की भूमिका

पितृसत्तात्मक व्यवस्था में बदलाव हेतु पंचायत निम्न जरूरी कदम उठा सकती है, जैसे –

- पंचायत में चयनित सभी महिला जनप्रतिनिधियों को बैठकों में शामिल कर निर्णय की प्रक्रिया में भागीदार बनाना।
- यह सुनिश्चित करना कि लड़कियों को भी लड़कों के समान शिक्षा, स्वास्थ्य और आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध हों।

- विकास कार्यों में महिलाओं की आवश्यकताओं और उनके निर्णयों को शामिल किया जाये।
- पंचायत व अन्य प्रशासनिक इकाईयां जैसे – पंचायत की समितियां, शाला प्रबंधन समिति, ग्राम सभा स्वस्थ्य ग्राम तदर्थ समिति आदि में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी हो और उन्हें निर्णय लेने के अवसर हों।
- महिलाओं के साथ मारपीट, गर्भपात आदि पर कड़ी कार्यवाही हो।
- लड़कियों / बहुओं को नौकरी के लिये प्रोत्साहित करना।
- पारिवारिक निर्णयों में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करना।

आगामी एक माह की कार्ययोजना

- पंचायत में मौजूद कोई दो ऐसी पितृसत्तात्मक व्यवस्था जो महिलाओं के विकास में अवरोध पैदा करती हैं और उनके लिए अवसरों को सीमित करती है, रोकथाम की योजना बनायें।

पंचायत :		दिनांक : .....
पितृसत्तात्मक व्यवस्था	**क्या करेंगे**	**पंचायत की भूमिका**

- आगामी बैठक की तारीख, स्थान एवं समय का निर्धारण कर बैठक का समापन करें।

बैठक – 5

महिला हिंसा के विभिन्न रूप एवं प्रभाव

- महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा के विभिन्न रूपों पर समझ बनाना।
- हिंसा के कारण महिलाओं पर पड़ने वाले प्रभावों से अवगत कराना।

समयावधि : 2 घंटा

बैठक संचालन प्रक्रिया के चरण

- सामाजिक बदलाव पर कोई गीत का सामूहिक गान
- पिछली बैठक में तय किये गये कार्यों के प्रगति की समीक्षा
- समूह अभ्यास के माध्यम से हिंसा के विभिन्न रूपों की समझ बनाना
- हिंसा के कारण महिलाओं पर पड़ने वाले विभिन्न प्रभावों से अवगत कराना

विगत माह बनायी गई कार्ययोजना की समीक्षा

सर्वप्रथम पिछली बैठक में तय किये गये कार्यों के प्रगति की समीक्षा करें, क्या हो पाया ? क्या नहीं हो पाया? किस तरह की समस्या आयी? इस पर चर्चा करें।

सत्र का उद्देश्य

महिलाओं की कुल आबादी में से एक तिहाई महिलाओं को हिंसा का सामना करना पड़ता है। इसमें घरेलू हिंसा की घटनायें सर्वाधिक हैं। हिंसा के मामलों में ज्यादातर महिलायें यह सोचकर, कि इससे स्वयं की, परिवार की बदनामी होगी और इसे निजी एवं पारिवारिक मामला मानकर चुप रह जाती हैं। लगातार हिंसा की स्थिति से गुजरने के कारण महिलाओं का स्वास्थ्य, उनकी आर्थिक सक्षमता के साथ–साथ उनका मानसिक विकास भी अवरूद्ध हो जाता है। पंचायत चूंकि ग्राम स्तर की एक वैधानिक इकाई है, इसलिये हिंसा के मामलों की रोकथाम एवं सुलह कराने में पंचायत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे।

- सहजकर्ता प्रतिभागियों को चार समूहों में बांटें और प्रत्येक समूह को नीचे **बॉक्स – 1** में दी गई एक–एक केस स्टडी साझा कर निम्न बिंदुओं पर चर्चा करने के लिये कहें –
  1. आपको दी गई केस स्टेडी में महिला के साथ किस तरह की हिंसा की गई।
  2. आपको क्या लगता है कि जो गलती थी, उसके लिये महिला के साथ हिंसा उचित थी?
  3. क्या इस तरह की हिंसाओं को समाप्त करना संभव है?
- प्रत्येक समूह आपस में चर्चा कर उपरोक्त तीनों बिंदुओं पर अपना प्रस्तुतिकरण देगा। सहजकर्ता प्रत्येक समूह में चर्चा के प्रस्तुतिकरण के लिये एक या दो सदस्य का चयन करने के लिये कहें।

केस स्टेडी **बॉक्स – 1**

- 23 साल की जमुना अपने पति रवि और दो बच्चों के साथ उड़ीसा के धनकेनाल जिले के भूभान गांव में रहती है। एक शाम उसने जो खाना बनाया, वह सामान्य से अधिक मसालेदार था। खाने के बाद, उसके पति ने कहा कि वह एक लापरवाह महिला है, जो केवल टीवी देखने के अलावा कोई काम नहीं करती, साथ ही वह जमुना को थप्पड़ भी मारता है।

- 15 वर्षीय दर्शना अपने माता–पिता और दादा–दादी के साथ बिहार के सहरसा जिले के बनगाँव में रहती है। एक दिन उसके पिता के युवा चचेरे भाई उनसे मिलने आए और एक हफ्ते तक उनके घर पर ही रहे। इस दौरान पिता का चचेरा भाई दर्शना से छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है और उसे अनुचित तरीके से छूता है। वह बेहद डरी हुई है और नहीं जानती कि उसे क्या करना है।

- फातिमा अपने पति और माता–पिता के साथ राजस्थान के जोधपुर जिले के असंध गाँव में रहती हैं। फातिमा और उसके पति ईंट भट्टे पर मिट्टी की ईंट बनाने का काम करते हैं। ठेकेदार उनसें हर दिन 10 घंटे काम कराता है। हालांकि फातिमा और उसके पति दोनों यही काम करते हैं, लेकिन ठेकेदार यह कहते हुए कि महिलाएं पुरुषों के जितना काम नहीं करती, फातिमा को 225 रूपये और पति को 300 रूपये दिहाड़ी देता है।

- मार्गिना ने हाल ही में अपने पति को खो दिया, वह अपने ससुराल में मध्य प्रदेश के सतना जिले के नागोद गाँव में रहती हैं। ससुराल वाले उसे मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान करने और उसे डायन कहने का कोई अवसर नहीं छोड़ते। वे मार्गिना के बारे में ग्रामीणों को यह बताने का कोई अवसर नहीं छोड़ते हैं कि वह परिवार के लिये अशुभ है।

- सहजकर्ता समूह प्रस्तुतिकरण के बाद **बॉक्स – 2** में दिये गये हिंसा के विभिन्न रूपों की जानकारी सहभागियों के साथ साझा करें।

महिलाओं के साथ हिंसा के विभिन्न प्रकार

- **शारीरिक हिंसा :** यह मुक्का मारने, पीटने, कोई वस्तु फेंकने या फेंककर मारने, धक्का देने, वस्तुओं या हथियारों का उपयोग कर चोट पहुंचाने, जलाने आदि के रूप में हो सकती है। इस तरह की हिंसा में शारीरिक अंगों का कटना और चोट के कारण स्थायी विकलांगता, यहां तक कि मृत्यु तक हो सकती है। शारीरिक हिंसा आमतौर पर समय के साथ बढ़ते रहती है और इसका अंत एक महिला की मृत्यु के रूप में हो सकता है।
- **भावनात्मक हिंसा :** इसमें आलोचना, धमकी, अपमान, अपमानजनक टिप्पणियां, परिवार या दोस्तों से अलगाव, पीड़िता और उसके सगे संबंधियों या उनके सामान को नुकसान पहुंचाने की धमकी शामिल हो सकती है। जो महिलाएं भावनात्मक शोषण से पीड़ित होती हैं, वे आमतौर पर आत्मसम्मान की हानि के कारण हमेशा अवसाद या चिंता से गुजरती हैं।
- **यौन हिंसा :** इसमें जबरदस्ती यौन संबंध बनाना, दूसरों के साथ यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर करना, असुरक्षित यौन संबंध बनाना शामिल है। यौन शोषण बलात्कार या यौन हमले का रूप ले सकता है।
- **आर्थिक हिंसा :** इसमें पैसे की अनुचित मांग करना, पैसा कमाने की अनुमति न देना, व्यक्तिगत सामान को नुकसान पहुंचाना, भोजन और कपड़े जैसी बुनियादी जरूरतों से वंचित रखना शामिल है।

सहजकर्ता इस बात पर भी जोर दें कि किसी भी रूप में हिंसा न तो स्वीकार्य है और न ही उचित है। हिंसा को समाप्त करना संभव है और इसे समाप्त करने के विभिन्न तरीके हो सकते हैं। ग्राम स्तर पर महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा की रोकथाम और विवादों के निराकरण में पंचायत प्रतिनिधियों की मजबूत भूमिका हो सकती हैं।

हिंसा के कारण महिला पर पड़ने वाले प्रभाव

- सहकर्ता सहभागियों से पूछें कि हिंसा का महिलाओं के विकास, उनके जीवन पर और बच्चों पर, क्या प्रभाव पड़ता है?
- सहजकर्ता सहभागियों की प्रतिक्रियाओं को सूचीबद्ध करें, अंत में उन्हें शारीरिक, मानसिक, आर्थिक दुष्प्रभावों में वर्गीकृत करके बतायें। यदि कोई प्रभाव छूट गये हों तो नीचे दी गई जानकारी के माध्यम से उन्हें अवगत करायें।

शारीरिक : छोटी–मोटी चोट से लेकर नीला पड़ने तक की चोट, जलना, गंभीर या पुराना दर्द और छोटी लड़कियों में कुपोषण। गंभीर हिंसा के कारण हड्डी टूटना, अस्थायी या स्थायी विकलांगता और जानलेवा स्थिति उत्पन्न हो सकती है या मृत्यु भी हो सकती है।

मनोवैज्ञानिक या मानसिक : महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा के मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक प्रभाव, शारीरिक प्रभावों से कहीं ज्यादा गंभीर और हानिकारक होते हैं। वे महिलाओं के आत्मविश्वास को कम कर देते हैं। इससे कई अन्य मानसिक स्वास्थ्य समस्यायें भी उत्पन्न हो जाती हैं। इनके कारण कई बार महिलायें

आत्महत्या तक कर सकती हैं या आत्महत्या की कोशिश कर सकती हैं। उनमें निराशा, चिंता और सिर दर्द जैसी समस्यायें भी उत्पन्न हो जाती हैं। लम्बे समय से प्रताड़ना या मारपीट की शिकार महिलाओं में ये लक्षण स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं।

किशोरी बालिकाओं एवं वयस्क महिलाओं का यौन स्वास्थ्य भी यौनिक जबरदस्ती के कारण प्रभावित हो सकता है।

आर्थिक प्रभाव : हिंसा के आर्थिक प्रभावों में स्वास्थ्य, न्याय, सामाजिक सेवाओं, मजदूरी, रोजगार या व्यावसायिक हानि, व्यक्तिगत या घरेलू व्यय आदि शामिल है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च ऑन वूमेन (आईसीआरडब्ल्यु) के अध्ययन से पता चला है कि घरेलू हिंसा के कारण चोट लगने वाली हर घटना में, महिला को 6.88 दिन के रोजगार दिवस और 6.87 दिनों का घरेलू कार्य दिवस का नुकसान उठाना पड़ता है।

प्रजनन स्वास्थ्य : अवांक्षित गर्भावस्था, और/या यौन संक्रामक बीमारियां सामान्य लक्षण हैं। इसके अलावा जननांग क्षेत्र में चोट लगना, गर्भपात, समय से पहले प्रसव और यहां तक कि मातृ मृत्यु जैसी गंभीर समस्याओं को जन्म देने वाले आघात शामिल हैं।

बच्चों पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव : अपनी मां को उत्पीड़न का शिकार होते देखने वाले बच्चे या तो आक्रामक और गुस्सैल बन जाते हैं या फिर वे खामोश हो जाते हैं और अकेले रहना पसंद करने लगते हैं। जिन परिवारों में हिंसा की घटनायें आए दिन होती है, इन परिवारों के बच्चे अक्सर ठीक से खाना नहीं खाते, उनका विकास ठीक से नहीं होता और अन्य बच्चों के मुकाबले उनकी सीखने की क्षमता कम हो जाती है। वे मानसिक बीमारियों से भी ग्रसित हो सकते हैं। इसकी वजह से वे अकारण स्कूल से अनुपस्थित रहने लगते हैं या स्कूल छोड़ देते हैं और इससे उनकी शिक्षा पर बुरा असर पड़ता है। अक्सर जब कोई महिला घर में उत्पीड़न का शिकार होती है, तो उसके बच्चों में भी यह भावना घर करने लगती है कि लड़कियों और औरतों के साथ इसी तरह का व्यवहार किया जाता है और उनके साथ होने वाली हिंसा ठीक या स्वीकार्य है।

पंचायत की भूमिका

आज की बैठक में हमने महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा के विभिन्न रूप और महिलाओं पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में जाना। पंचायत एक अधिकार प्राप्त संवैधानिक इकाई होने के नाते महिला हिंसा की रोकथाम या समाधान हेतु आवश्यक कदम उठा सकती है। जैसे –

- महिला हिंसा की रोकथाम हेतु लागू कानूनों का प्रचार–प्रसार कर सामुदायिक जागरूकता लाना।
- हिंसा पीड़ित महिलाओं के सहयोग हेतु हेल्पलाइन नंबर, संरक्षण अधिकारी, वन स्टॉप सेंटर और पुलिस थानों के संपर्क नंबरों का प्रचार–प्रसार करना।
- हिंसा के मामलों में दोनों पक्ष को बुलाकर उचित परामर्श एवं समझाईश देकर सुलह कराने का प्रयास करना।
- यदि सुलह संभव है तो इसका लिखित पंचनामा तैयार कराना।
- पंचनामा तीन प्रतियों में बनाया जाये एक–एक प्रति दोनों पक्षों को प्रदान कर, एक प्रति पंचायत रिकार्ड में सुरक्षित रखी जाये।

- सुलह के समय पंचायत हिंसा करने वाले को कानून के तहत सजा के प्रावधानों से भी अवगत करा सकती है।
- सुलह कराने हेतु पंचायत सामजिक पंचायतों के प्रमुख व्यक्तियों का सहयोग भी ले सकती है।
- यदि सुलह करा पाना संभव न हो तो पंचायत हिंसा पीड़िता को पुलिस थाना या संरक्षण अधिकारी के पास रिपोर्ट दर्ज कराने एवं त्वरित सहायता जैसे – रहने, भोजन पानी आदि हेतु आवश्यक मदद कर सकती है।

पंचनामा तैयार करते समय ध्यान देने वाली बातें

महिला हिंसा के मामलों में यदि पंचायत के हस्तक्षेप से दोनों पक्ष में सुलह हेतु सहमति बन गई हो तो इसका लिखित पंचनामा तैयार किया जाना बेहद आवश्यक है। जिसमें निम्न बातों का उल्लेख होना चाहिये –

- पंचनामा तैयार करने के लिये पंचायत कार्यालय का उपयोग किया जाये, जिसमें दोनों पक्षों की उपस्थिति के साथ–साथ सरपंच और ग्राम के गणमान्य व्यक्तियों की मौजूदगी आवश्यक हो।
- पंचनामा तीन प्रतियों में तैयार किया जाये जिसमें, पंचनामा तैयार करने की तारीख, समय, स्थान का विवरण दिया गया हो।
- हिंसा के विवरण सहित उन शर्तों का स्पष्ट उल्लेख हो जिनके आधार पर सुलह संभव हुई है। जैसे –भविष्य में किसी भी प्रकार की हिंसा न करना, देखभाल, खर्च पूर्ती आदि।
- यदि हिंसा करने वाले द्वारा शर्तों का उलंघन कर महिला के साथ पुनः हिंसा की जाती है तो क्या कार्यवाही की जा सकेगी, उल्लेख किया जाना चाहिये।
- पंचनामा तैयार हो जाने के बाद दोनों पक्षों और उपस्थित लोगों को पढ़कर सुनाया जाना चाहिये।
- पंचनामा पढ़कर सुनाने के बाद दोनों पक्षों, गवाहों, सरपंच के हस्ताक्षर और सील लगायी जाये।
- पंचनामा की एक प्रति हिंसा पीड़िता को, दूसरी कॉपी हिंसा करने वाले व्यक्ति को और तीसरी कॉपी पंचायत रिकार्ड में सुरक्षित रखी जाये।
- पंचनामा के लिये आयोजित बैठक का विवरण पंचायत की बैठक रजिस्टर में पंजीबद्ध किया जाये और इसमें उपस्थित सभी लोगों के हस्ताक्षर कराये जायें।

आगामी एक माह की कार्ययोजना

- सभी पंचायत प्रतिनिधियों को अपने–अपने वार्ड में जिन परिवारों में महिलाओं के साथ हिंसा होती है चिन्हांकन कर पंचायत की बैठक में इस पर चर्चा कर निराकरण की योजना बनाने के लिये कहें।

पंचायत :		दिनांक :	
हिंसा का प्रकार	**समाधान**	**कैसे करेंगे**	**कौन करेगा**

- आगामी बैठक की तारीख, स्थान एवं समय का निर्धारण कर बैठक का समापन करें।

बैठक – 6

महिला सुरक्षा के लिये सेफ्टी ऑडिट

- महिलाओं और लड़कियों के लिये असुरक्षित स्थान और मुद्दों की पहचान करना।
- असुरक्षित स्थानों को सुरक्षित बनाने की योजना बनाना।

समयावधि : 2 घंटा

बैठक संचालन प्रक्रिया के चरण

- सामाजिक बदलाव पर कोई गीत का सामूहिक गान
- पिछली बैठक में तय किये गये कार्यों के प्रगति की समीक्षा
- महिलाओं और लड़कियों के लिये सुरक्षित– असुरक्षित स्थानों की मैपिंग।
- असुरक्षित स्थानों को सुरक्षित बनाने की योजना बनाना।

विगत माह बनायी गई कार्ययोजना की समीक्षा

बैठक की शुरूआत पिछली बैठक में तय किये गये कार्यों की समीक्षा से करें, क्या कर पाये? क्या नहीं कर पाये? क्या परेशानियां आयी? इन बिंदुओं पर सामूहिक चर्चा करें।

सत्र का उद्देश्य

हर साल गांव और पंचायत में विकास योजना बनायी जाती है, लेकिन जाने अनजाने में योजना बनाते समय महिलाओं की जरूरतें, उनकी सुरक्षा के मुद्दे छूट जाते हैं। गांव और पंचायत में बहुत से ऐसे स्थान होते हैं, जहां महिलाओं और लड़कियों को जाने में असुरक्षा महसूस होती है या डर लगता है। कुछ स्थान ऐसे भी हो सकते हैं जहां दिन में डर नहीं लगता लेकिन रात में डर लगता है, कुछ स्थान ऐसे भी हो सकते हैं जहां किसी समय विशेष में डर लगता है। एक पंचायत प्रतिनिधि होने के नाते, कभी हमने ये जानने का प्रयास किया कि हमारे गांव में ऐसे कौन–कौन से स्थान हैं जहां महिलाओं को आने जाने में डर या असुरक्षा महसूस होती है। आज हम एक अभ्यास के माध्यम से ऐसे स्थानों को चिन्हित करने और उन्हें सुरक्षित बनाने के उपायों के बारे में जानेंगे।

महिलाओं की सुरक्षा योजना का निर्माण

आइये हम महिलाओं की सुरक्षा हेतु योजना निर्माण प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से समझते हैं –

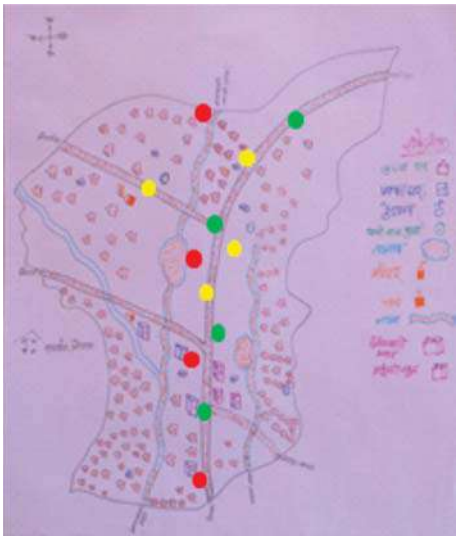

प्रथम चरण – सहभागियों को एक बड़ा चार्ट पेपर देकर उन्हें महिलाओं और लड़कियों के द्वारा उपयोग किये जाने वाले गांव के प्रमुख रास्ते व स्थानों का नक्शा बनाने के लिये कहें।

दूसरा चरण – नक्शे पर चिन्हित रास्ते और स्थानों में से जिन्हें वे सुरक्षित मानती हैं हरे रंग की बिंदी, जहां थोड़ा कम डर लगता है उन स्थानों को पीले रंग की बिंदी तथा जिन स्थानों पर अधिक डर एवं असुरक्षा महसूस होती है लाल रंग की बिंदी से चिन्हांकित करने के लिये कहें।

तीसरा चरण – पीले और लाल रंग की बिंदी वाले रास्ते व स्थानों पर असुरक्षा एवं डर के क्या कारण हैं, इन्हें कैसे सुरक्षित बनाया जा सकता है, इसके लिये क्या करना होगा इन विषयों पर चर्चा करें।

चौथा चरण – उपरोक्त अभ्यास पूरा हो जाने पर जो भी स्थान पंचायत प्रतिनिधियों के द्वारा महिलाओं के लिये असुरक्षित बताये गये हैं सहभागियों के साथ उन स्थानों की विजिट करें और वहां की परिस्थिति का अवलोकन करें।

पांचवा चरण – जो भी गतिविधि और कार्य निकलकर आये हैं, उन्हें पूरा करने की योजना बनायें। यह देखें कि कौन से ऐसे कार्य हैं जिनमें पैसे की आवश्यकता नहीं है और समुदाय की सहभागिता से उन्हें पूरा किया जा सकता है। जिन कार्यों में पैसे खर्च होने हैं वह किस योजना से, किस मद से प्राप्त किये जा सकते हैं इसकी योजना बनाकर ग्राम सभा से अनुमोदन करायें। योजना बनाते समय हर एक कार्य और गतिविधि के क्रियान्वयन की समय–सीमा और जिम्मेदारियां भी तय करें।

छठ्वां चरण – महिला हितैषी पंचायत हेतु बनायी गई कार्ययोजना का सही से क्रियान्वयन हो रहा है अथवा नहीं हर माह की पंचायत बैठक में इसकी समीक्षा करें। साथ में यह भी देखें कि जिन स्थानों और रास्तों को पीले या लाल की बिंदी से चिन्हित किया गया था उनमें क्या बदलाव आया है। ये महिलाओं के लिये भय मुक्त बन पाये हैं अथवा अभी और प्रबंध करने की आवश्यकता है। आप चाहें तो जो स्थान अब सुरक्षित हो गये हैं उन पर पीले या लाल रंग की बिंदी हटाकर हरे रंग की बिंदी लगा सकते हैं। जिससे यह स्पष्ट हो जाये कि अभी किन–किन स्थानों और रास्तों को सुरक्षित बनाने के प्रयास किया जाना बाकी है। तैयार किये गए नक्शे को पंचायत कार्यालय में लगाकर रखें ताकि हमेशा इस पर नजर बनी रहे।

पंचायत की भूमिका

प्रत्येक पंचायत में महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा हेतु इस तरह की प्लानिंग की आवश्यकता है। यह महिलाओं की सहभागिता और पंचायतों के सहयोग के बिना संभव नहीं है। महिला सुरक्षा हेतु किये जाने वाले कार्यों में बहुत से ऐसे कार्य होंगे जिनमें पैसे की आवश्यकता नहीं होगी, केवल सामुदायिक सहयोग से ही इन्हें पूरा किया जा सकता है।

आगामी एक माह की कार्ययोजना

- सहभागियों को आज की बैठक में दी गई जानकारी के आधार पर महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए पंचायत को महिला हितैषी बनाने की योजना बनाकर लाने के लिये कहें।

पंचायत :	दिनांक : .....

स्थान	डर क्यों लगता है	क्या करना होगा	कैसे होगा

- आगामी बैठक की तारीख, स्थान एवं समय का निर्धारण कर बैठक का समापन करें।

बैठक – 7

पंचायत की योजना और महिलाओं के मुद्दे

- योजना निर्माण में महिलाओं की भागीदारी के महत्व से अवगत कराना।
- योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की स्थिति का आकलन करना।

समयावधि : 2 घंटा

बैठक संचालन प्रक्रिया के चरण

- सामाजिक बदलाव पर कोई गीत का सामूहिक गान
- पिछली बैठक में तय किये गये कार्यों के प्रगति की समीक्षा
- महिलाओं से संबंधित मुद्दों और कार्यों को समझना
- महिलाओं से संबंधित कार्यों में प्राथमिकता का निर्धारण
- योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में सुधार की योजना बनाना।

विगत माह बनायी गई कार्ययोजना की समीक्षा

सर्वप्रथम पिछली बैठक में तय किये गये कार्यों के प्रगति की समीक्षा करें, क्या हो पाया ? क्या नहीं हो पाया? किस तरह की समस्या आयी? इस पर चर्चा करें।

सत्र का उद्देश्य

पंचायत में योजना निर्माण का कार्य हर साल किया जाता है, लेकिन योजना निर्माण में महिलाओं और किशोरियों की भागीदारी या आवश्यकताओं को महत्व नहीं मिल पाता है। लगभग आदि आबादी के दृष्टिकोण की उपेक्षा कर पंचायत का विकास कर पाना संभव नहीं है।

ग्राम पंचायतों के द्वारा ऐसी योजना का निर्माण किया जाना चाहिए, जिसमें महिलाओं की आर्थिक, सामाजिक स्थिति बेहतर हो सके। क्षेत्रीय विकास के लिए आवश्यक कौशल एवं कार्यक्षमता विकसित करने के लिए निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को उचित प्रशिक्षण देने की विशेष व्यवस्था होनी चाहिए ताकि वे महिलाओं के अधिकारों और दायित्वों को भलीभाति समझ सकें।

अतीत की रुढिवादी सामाजिक व्यवस्था से जकड़ी रहने के बावजूद भी महिलाओं की रुचि सामाजिक–आर्थिक सुधार के कार्यों में स्पष्ट रुप से देखने को मिलती है। फिर भी गांव व जनसमुदाय से जुड़े मुद्दे हों या निर्माण कार्य के लिए योजना बनाने का सवाल, इन सभी प्रक्रियाओं में महिलाओं की उपेक्षा बरकरार है। क्या हमारी पंचायतें योजना निर्माण, निगरानी प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित कर सकती हैं। पंचायत की योजनायें कैसे महिलाओं के प्रति संवेदनशील हो सकती है, आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे।

महिलाओं से संबंधित मुद्दे

- पंचायत प्रतिनिधियों से पूछें कि पंचायत में ऐसे कौन–कौन से मुद्दे हैं जो विशेष रूप से महिलाओं को प्रभावित करते हैं? जैसे – पानी, स्नानागार, शौचालय, स्कूल, सड़कों पर अंधेरा, छेड़छाड़ आदि।
- क्या महिलाओं के मुद्दों पर ध्यान दिया जाता है। सहभागियों की प्रतिक्रिया और जवाबों को चार्ट पेपर पर नोट करते जायें।
- सहजकर्ता पंचायत प्रतिनिधियों से सवाल पूछें तथा चर्चा करें कि पंचायत की योजना क्या है, उसे कौन बनाता है और उसमें किस–किस प्रकार के काम लिये जाते हैं ?
- नीचे दी गई कार्यों की सूची सहभागियों से साझा करें तथा उन्हें स्थानीय परिस्थिति अनुसार इसमें और कार्य शामिल करने के लिये प्रोत्साहित करें। साथ ही पंचायत में इन कार्यों की प्राथमिकतायें भी जानें।

क्र.	कार्य	प्राथमिकता
1.	सड़क	
2.	आंगनवाड़ी	
3.	शौचालय	
4.	स्कूल में शौचालय निर्माण	
5.	गांव के मुख्य रास्तों पर प्रकाश व्यवस्था	
6.	नालियों का निर्माण एवं सफाई	
7.	पीने के पानी की व्यवस्था	
8.	आंगनवाड़ी में पोषण आहार	
9.	महिलाओं की जांच के लिये मेज की व्यवस्था	
10.	सिंचाई हेतु पानी की व्यवस्था	
11.	शमशान घाट का विकास	
12.	मवेशियों के लिये पानी की व्यवस्था	
13.	स्कूल में बाउंड्रीवाल व्यवस्था	

14.	हेंडपंप चबूतरा निर्माण / स्नानागार	
15.	हेंडपंप के पास सोख्ता गडढे का निर्माण	
16.	पुराने कुओं की सफाई	
17.	सामुदायिक भवन	
18.	पंचायत भवन	
19.	सामुदायिक चबूतरा / शेड निर्माण	
20.	हेंडपंप के पास महिलाओं के लिये स्नानागार की व्यवस्था	
21.	लड़कियों के लिये हाईस्कूल या हायर सेकेंडरी स्कूल	

- सहजकर्ता, सहभागियों को तैयार कार्यों की सूची में से 10 ऐसे कार्य जो महिलाओं की जरूरतों से संबंधित हैं, महत्व के अनुसार प्राथमिकीकरण करने के लिये कहें।
- अब इस बात पर चर्चा करें कि कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर अधिक काम होता है लेकिन महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान से जुड़े कई ऐसे कार्य हैं जिन पर काम नहीं होता। उदाहरण के लिये – खुले में शौच जाना, हेंडपंप के पास खुले में नहाना।

पंचायत की भूमिका

महिला मुद्दों को शामिल कर योजना निर्माण हेतु सुझाव –

- ग्राम विकास योजना निर्माण के समय महिलाओं के साथ अलग से चर्चा की जाए ताकि उनकी जरूरतों और समस्याओं के समाधान हेतु गतिविधियां योजना निर्माण में शामिल की जा सके।
- महिलाओं के मुददों को प्राथमिकता देने के लिए समय–समय पर महिला ग्राम सभा का आयोजन करना। आमतौर पर महिलाएं पुरूषों के सामने अपनी समस्याएं नहीं रख पाती, इसलिये महिलाओं के लिये विशेष ग्राम सभा आयोजित की जा सकती है। महिला ग्राम सभा के माध्यम से महिलाओं से जुड़ी समस्याओं पर बेहतर ढंग से चर्चा एवं निर्णय लिये जा सकेंगे।
- योजना निर्माण में महिलाओं की भागीदारी से योजना के क्रियान्वयन में भी महिलाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जा सकती है।

आगामी एक माह की कार्ययोजना

- अगले वर्ष की कार्ययोजना में महिलाओं से संबंधित कार्य और उन पर होने वाले अनुमानित व्यय पर आगामी माह की बैठक तक कार्ययोजना बना कर लाने के लिये कहें।

पंचायत :		दिनांक : .....
कार्य का नाम	**अनुमानित व्यय**	**पैसा किस मद से आएगा**

- आगामी बैठक की तारीख, स्थान एवं समय का निर्धारण कर बैठक का समापन करें।

बैठक – 8

महिलाओं के लिये संचालित प्रमुख कार्यक्रम एवं योजनाएं

- महिलाओं के लिये संचालित योजनाओं और कार्यक्रमों से अवगत कराना।

समयावधि : 2 घंटा

बैठक संचालन प्रक्रिया के चरण

- सामाजिक बदलाव/महिला सशक्तिकरण पर कोई गीत का सामूहिक गान
- पिछली बैठक में तय किये गये कार्यों के प्रगति की समीक्षा
- महिलाओं और लड़कियों के लिये संचालित प्रमुख कार्यक्रम एवं योजनाओं की जानकारी
- योजनाओं/कार्यक्रमों के बेहतर क्रियान्वयन में पंचायत की भूमिका
- योजनाओं और कार्यक्रमों के उद्देश्य पर समझ बनाना।

विगत माह बनायी गई कार्ययोजना की समीक्षा

सर्वप्रथम पिछली बैठक में तय किये गये कार्यों के प्रगति की समीक्षा करें, क्या हो पाया ? क्या नहीं हो पाया? किस तरह की समस्या आयी? इस पर चर्चा करें।

सत्र का उद्देश्य

महिलाओं, बालिकाओं, किशोरियों के कल्याण के लिये सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं एवं कार्यक्रम संचालित हैं। लेकिन जानकारी के अभाव में और अधिकारियों/पंचायतों की उदासीनता के कारण पात्रता के बावजूद अनेक महिलायें/किशोरियां इन योजनाओं का लाभ नहीं ले पाती हैं। हर पात्र व्यक्ति को पंचायत में योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ मिले इसकी जिम्मेदारी केवल सरपंच की नहीं, अपितु सभी वार्ड पंचों की भी है।

- सहजकर्ता नीचे तालिका में दिये गये कार्यक्रम और योजनाओं की जानकारी प्रदान करने के साथ–साथ इनके उद्देश्यों पर ज्यादा जोर दें।

महिलाओं एवं लड़कियों के लिये संचालित प्रमुख कार्यक्रम एवं योजनायें

प्रमुख कार्यक्रम	प्रमुख योजनायें
✸ **आंगनवाड़ी केन्द्र–** 0 से 6 साल के बच्चों, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं, किशोरियों को पोषण आहार का वितरण एवं महिलाओं से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी एवं परामर्श।	✸ परित्याग्ता, वृद्वा एवं विधवा पेंशन – पात्र महिलाओं को मासिक पेंशन राशि इसके लिये जरूरी दस्तावेज पंचायत द्वारा तैयार किये जाते हैं।
✸ **आरोग्य केन्द्र** – बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं का नियमित टीकाकरण, गर्भवती महिलाओं की नियमित जांच एवं पूरक दवाएं, प्रसव हेतु जननी एक्सप्रेस की सुविधा एवं रेफरल सुविधा	✸ **संबल योजना**– इसमें प्रसूति सहायता, छात्रवृति इत्यादि सम्मिलित है– यह श्रमिकों के लिये चलाई जा रही योजना है जिसमें श्रमिकों की चिकित्सा एवं दुर्घटना के साथ महिला श्रमिक के लिये प्रसूति सहायता बच्चों के लिये छात्रवृत्ति की सुविधा सम्मिलित है। पंचायत एवं श्रम विभाग इस योजना का संचालन करता है एवं पंचायत के माध्यम से इसका पंजीयन कराया जाता है। सिर्फ पंजीकृत श्रमिक को ही इस योजना का लाभ मिलता है।
✸ **शिक्षा** – बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिये विद्यालयों में पढ़ने वाली बालिकाओं को छात्रवृत्ति, सायकिल, निःशुल्क पाठय पुस्तकें, मध्यान्ह भोजन की सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। इसके अलावा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिये कौशल उन्नयन कार्यक्रम संचालित है।	✸ **बालिकाओं के लिये छात्रवृत्ति**– स्कूल एवं कॉलेजों अध्ययनरत बालिकाओं/किशोरियों को अलग – अलग योजनाओं के अंतर्गत निरंतर अध्ययन के लिये वार्षिक सहयोग मिलता है। अपने गांव से बाहर पढ़ने जाने वाली बालिकाओं को सायकिल प्रदान की जाती है। ✸ **कौशल उन्नयन** : स्वरोजगार हेतु महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।
✸ **आर्थिक सक्षमता** : किशोरावस्था में या उच्च शिक्षा या विवाह हेतु बालिकाएं परिवार पर बोझ न बने इसके लिये सरकार द्वारा विशेष कार्यक्रम संचालित हैं।	✸ **लाड्ली लक्ष्मी योजना**– लड़की के जन्म पर आंगनवाड़ी द्वारा पंजीयन होता है एवं लड़की की आयु 18 साल होने पर एकमुश्त राशि सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। ✸ **सुकन्या समृद्धि योजना**– इस योजना का लाभ पोस्ट आफिस में खाता खुलवाकर नियमित रूप से अंशदान की राशि जमा करनी होती है एवं 21 साल के बाद ब्याज सहित एकमुश्त राशि प्राप्त होती है।

- सहजकर्ता अनुलग्नक–1 में दी गई महिलाओं और लड़कियों से संबंधित प्रमुख योजनाओं की जानकारी सहभागियों के साथ साझा करें।

पंचायत की भूमिका

सहजकर्ता पंचायत प्रतिनिधियों के साथ इन कार्यक्रमों/योजनाओं के बेहतर संचालन में पंचायत की भूमिका की चर्चा करें।

कार्यक्रम	इन बिंदुओं पर पंचायत की भूमिका
आंगनवाड़ी केन्द्र	✸ रजिस्ट्रेशन, क्रियान्वयन, सहयोग, मानिटरिंग
स्कूल	✸ क्या सभी लड़कियां स्कूल जाती हैं? ✸ क्या कुछ बच्चे अनियमित स्कूल जाते हैं? ✸ क्या शिक्षक का व्यवहार लड़कियों के लिये संवेदनशील है?
आरोग्य केन्द्र	✸ रोज खुलता है ✸ केन्द्र पर सभी सुविधायें उपलब्ध हैं।
पंचायत	✸ सभी पात्र महिलाओं एवं लड़कियों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। ✸ पात्रता दस्तावेज बनवाने में आवश्यक मदद मिलती है।

आगामी एक माह की कार्ययोजना

- अपनी पंचायत में संचालित सार्वजनिक सेवाओं के संचालन में जो कमियां हैं, उन्हें दूर कर संचालन को बेहतर बनाने के लिये आगामी माह की कार्ययोजना बनायें।

पंचायत :		दिनांक : .....
योजना/कार्यक्रम	**चुनौतियां/कमियां**	**कैसे बेहतर बनायेंगे**

- आगामी बैठक की तारीख, स्थान एवं समय का निर्धारण कर बैठक का समापन करें।

बैठक – 9

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005

- अधिनियम के क्रियान्वयन से जुड़ी प्रमुख एजेंसियां व सेवा प्रदाता संस्थाओं के बारे में जानकारी प्रदान करना।
- हिंसा ग्रसित महिला के कानूनी अधिकारों से अवगत कराना।

समयावधि : 2 घंटा

बैठक संचालन प्रक्रिया के चरण

- सामाजिक बदलाव/महिला सशक्तिकरण पर कोई गीत का सामूहिक गान
- पिछली बैठक में तय किये गये कार्यों के प्रगति की समीक्षा
- कानून के क्रियान्वयन से जुड़ी विभिन्न एजेंसी, सेवा प्रदाता संस्थाएं एवं उनकी भूमिका
- हिंसा ग्रसित महिला के कानूनी अधिकार
- महिला हिंसा के मामलों के निराकरण में पंचायतों की भूमिका

विगत माह बनायी गई कार्ययोजना की समीक्षा

बैठक की शुरूआत पिछली बैठक में तय किये गये कार्यों की समीक्षा से करें, क्या कर पाये? क्या नहीं कर पाये? क्या परेशानियां आयी? इन बिंदुओं पर सामूहिक चर्चा करें।

सत्र का उद्देश्य

देश में ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्र में एक तिहाई महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा होती है। महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा एवं लैंगिक भेदभाव की रोकथाम हेतु कई कानून लागू हैं। ग्रामीण इलाकों में इन कानूनों की जानकारी पहुंचाने एवं लागू कराने में पंचायत प्रतिनिधियों की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। इसके लिये पंचायत प्रतिनिधियों को इन कानूनों की जानकारी होना बेहद आवश्यक है। पंचायत प्रतिनिधियों को कानूनों की जानकारी होने से वह हिंसा पीड़ित महिलाओं को उचित सहयोग एवं सही मार्गदर्शन कर पायेंगे। आज हम महिलाओं के साथ होने वाली घरेलू हिंसा की रोकथाम हेतु 26 अक्टूबर, 2006 से लागू किये गये ''घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005'' के प्रमुख प्रावधानों को जानेंगे।

कानून के अनुसार घरेलू हिंसा क्या है?

ऐसा कार्य जिससे किसी महिला एवं उसके 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिये स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन संकट, आर्थिक हानि हो और ऐसी असहनीय क्षति जिससे महिला व बच्चे को दुःख एवं अपमान सहना पड़े, सभी को घरेलू हिंसा के दायरे में शामिल किया गया है।

हिंसा ग्रसित या पीड़ित महिला कौन है?

घरेलू नातेदारी में रहने वाली कोई महिला जिसके साथ घर के किसी व्यक्ति द्वारा दुर्व्यवहार या हिंसा की गई हो, कानून के तहत घरेलू हिंसा पीड़िता मानी जाएगी।

घरेलू नातेदारी में कौन–कौन शामिल हैं ?

घरेलू नातेदारी का मतलब किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच उन संबंधों से है, जिसमें वे या तो साझा गृहस्थी में एक साथ रहते हैं या पहले कभी रह चुके हैं। इसमें निम्न संबंध शामिल हो सकते हैं –

- **खूनी रिश्ता –** मां–बेटा, पिता–पुत्री, भाई–बहिन, आदि।
- **वैवाहिक रिश्ता –** पति–पत्नी, सास–बहू, ससुर–बहु, देवर–भाभी, ननद परिवार, विधवा के परिवार के अन्य सदस्यों से संबंध।
- **दत्तक ग्रहण–** गोद लेने से उपजे संबंध, जैसे – गोद ली हुई बेटी और पिता।
- **शादी जैसे रिश्ते –** लिव इन रिलेशन, कानूनी तौर पर अमान्य विवाह (उदाहरण के लिये पति ने दूसरी बार शादी की है अथवा पति–पत्नी के बीच खून का रिश्ता होने के कारण विवाह अवैध है)

कानून के अनुसार दोषी व्यक्ति की परिभाषा

कोई भी वयस्क पुरूष जो पीड़ित महिला की घरेलू नातेदारी में है या रहा है, और जिसके विरूद्ध हिंसा पीड़िता ने आरोप लगाया है।

क्रियान्वयन एजेन्सियां एवं उनके कर्तव्य

संरक्षण अधिकारी

- महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारियों को संरक्षण अधिकारी का प्रभार दिया गया है।
- घरेलू हिंसा की शिकायत दर्ज कर मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करना तथा इसकी प्रतिलिपी जिस क्षेत्र में घटना घटी है वहां के पुलिस थाना एवं सेवा प्रदाता संस्थाओं को उपलब्ध कराना।

सेवा प्रदाता संस्थायें

- पीड़ित महिला को चिकित्सा, वित्तीय, विधिक एवं अन्य सहायता हेतु नियुक्त स्वयं सेवी संस्थाएं।
- पीड़ित महिला की रिपोर्ट लिखना और उसकी एक प्रति उस क्षेत्र के संरक्षण अधिकारी तथा

मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत करना, जिस क्षेत्र में हिंसा हुई है।

- घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला की मेडिकल जांच करवाना और संबंधित अधिकारी तथा पुलिस थाने को चिकित्सीय परीक्षण की रिपोर्ट (मेडिकल रिपोर्ट) भेजना।
- यदि पीड़ित महिला आश्रय गृह में रहना चाहती है तो उसे आश्रय गृह उपलब्ध करवाना और इसकी रिपोर्ट संबंधित पुलिस थाने में प्रस्तुत करना।

परामर्शदाता

- संरक्षण अधिकारी द्वारा नियुक्त परामर्शदाता, जहां तक संभव हो महिला ही होगी।
- मजिस्ट्रेट के निर्देश पर हिंसा पीड़िता तथा दोषी व्यक्ति को अलग–अलग या संयुक्त रूप से परामर्श देना।

पुलिस

- गंभीर हिंसा के मामलों में भारतीय दंड संहिता के अधीन पीड़िता को शिकायत दर्ज कराने की जानकारी देना।

हिसा पीड़ित महिला के अधिकार

घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला को न्यायालय से निम्न आदेश प्राप्त करने का अधिकार है –

- **संरक्षण आदेश :** हिंसा करने वाले व्यक्ति द्वारा भविष्य में किसी भी प्रकार की घरेलू हिंसा करने पर रोक संबंधी आदेश।
- **निवास आदेश :** यदि पीड़िता साझी गृहस्थी में रहना चाहे तो उसे साझी गृहस्थी में रहने और बेदखल न करने का आदेश।
- **अभिरक्षा आदेश :** यदि हिंसा ग्रस्त महिला को अपने बच्चों की सुरक्षा का खतरा हो तो वह बच्चों को अस्थाई रूप से अपने पास रखने का आदेश प्राप्त कर सकती है।
- **आर्थिक सहायता आदेश :** चिकित्सा एवं भरण–पोषण खर्च पूर्ती उपलब्ध कराने के संबंध में आदेश। घरेलू हिंसा से महिला को हुई शारीरिक एवं मानसिक क्षतिपूर्ति की भरपाई के संबंध में आदेश।
- **निःशुल्क वकील की सहायता :** हिंसा ग्रस्त महिला को न्यायालय में अपना केस लड़ने के लिये निःशुल्क वकील की सहायता प्राप्त करने का अधिकार है।

घरेलू हिंसा की शिकायत कहां की जा सकती है ?

निम्न स्थानों में से किसी पर भी शिकायत दर्ज करायी जा सकती है –

- **पहला –** संरक्षण अधिकारी के पास
- **दूसरा –** निकटतम पुलिस थाने में
- **तीसरा –** न्यायालय में
- **चौथा –** सेवा प्रदाता संस्था

कौन–कौन शिकायत कर सकता है ?

पीड़िता खुद शिकायत कर सकती है अथवा उसकी ओर से कोई भी व्यक्ति जिसे लगता है कि, महिला के साथ घरेलू हिंसा हुई है अथवा होने का अंदेशा है संरक्षण अधिकारी को सूचित कर सकता है। यदि सूचना देने वाले व्यक्ति ने सद्भावना में यह काम किया है तो घटना या जानकारी की पुष्टि न होने पर भी उसके खिलाफ कार्यवाही नहीं की जाएगी।

पंचायत की भूमिका

कानून के क्रियान्वयन में पंचायत क्या कर सकती है ?

- विधिक शिविर का आयोजन कर कानून के बारे में जागरूकता।
- क्षेत्र के संरक्षण अधिकारी कार्यालय, महिला हेल्पलाइन नंबर एवं सेवा प्रदाता संस्थाओं के संपर्क नंबरों का विभिन्न माध्यमों से प्रचार–प्रसार।
- घरेलू हिंसा के मामले में दोनों पक्ष के बीच सुलह का प्रयास करना।
- हिंसा पीड़ित महिला की सहमति एवं अनुमति लेकर संरक्षण अधिकारी, पुलिस थाना या सेवा प्रदाताओं को हिंसा की घटना की सूचना देना।
- अधिनियम के तहत हिंसा पीड़ित महिला को शिकायत दर्ज कराने में सहयोग करना।

आगामी एक माह की कार्ययोजना

- हिंसा पीड़ित महिलाओं के सहयोग में कौन–कौन से निकाय एवं व्यक्ति मददगार हो सकते हैं उनकी पहचान करने और उनसे किस तरह का सहयोग प्राप्त किया जा सकता है इसका चिन्हांकन करने की कार्ययोजना बनायें।

पंचायत :	दिनांक : .....
व्यक्ति/निकाय	**मिलने वाला सहयोग**

- आगामी बैठक की तारीख, स्थान एवं समय का निर्धारण कर बैठक का समापन करें।

बैठक – 10

लैंगिक भेदभाव एवं कुप्रथाओं की रोकथाम संबंधी प्रमुख कानून

- लैंगिक भेदभाव और कुप्रथाओं की रोकथाम हेतु लागू कानूनों से अवगत कराना।

समयावधि : 2 घंटा

बैठक संचालन प्रक्रिया के चरण

- सामाजिक बदलाव/महिला सशक्तिकरण पर कोई गीत का सामूहिक गान
- पिछली बैठक में तय किये गये कार्यों के प्रगति की समीक्षा
- लैंगिक भेदभाव और कुप्रथाओं की रोकथाम से संबंधित प्रमुख कानूनों की जानकारी प्रदान करना

विगत माह बनायी गई कार्ययोजना की समीक्षा

बैठक की शुरूआत पिछली बैठक में तय किये गये कार्यों की समीक्षा से करें, क्या कर पाये? क्या नहीं कर पाये? क्या परेशानियां आयी? इन बिंदुओं पर सामूहिक चर्चा करें।

सत्र का उद्देश्य

देश के अलग–अलग क्षेत्रों में कई कुप्रथायें हैं, जो सीधे तौर पर महिलाओं को प्रभावित करती हैं और उनके मौलिक अधिकारों का हनन करती हैं। वैसे तो लैंगिक भेदभाव और कुप्रथायें जैसी सामाजिक बुराईयों की रोकथाम हेतु विभिन्न कानून लागू हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में लोग इनका उपयोग नहीं कर पाते। पंचायतें इन कानूनों के बारे में जागरूकता तथा उन्हें लागू कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। आज की बैठक में हम कुछ ऐसे ही प्रमुख कानूनों के बारे में जानेंगे और आशा करते हैं कि सभी प्रतिभागी बैठक में दी गई कानूनी जानकारियों के प्रचार–प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेंगे।

- सहजकर्ता लैंगिक भेदभाव और कुप्रथाओं की रोकथाम हेतु लागू कानूनों के बारे में सहभागियों को कितनी जानकारी है जानने का प्रयास करें।
- सहभागियों से जानकारी प्राप्त करने के बाद नीचे दिये गए कानूनों की जानकारी साझा करें।

लैंगिक भेदभाव को रोकने तथा महिलाओं की सुरक्षा संबंधी कानून

जेंडर संबंधी कानूनों, नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में गांवों में जागरूकता करने और इनके क्रियान्वयन में पंचायत की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। लैंगिक भेदभाव वाली कुप्रथाओं और अपराधों की रोकथाम हेतु लागू प्रमुख कानून –

क्र.	लैंगिक भेदभाव वाली प्रथायें	प्रथाओं को समाप्त करने के लिये कानून
1.	**पक्षपाती लिंग चयन** गर्भधारण से पहले या बाद में पक्षपाती तरीके से लिंग का चयन कर, बालिका होने की स्थिति में भ्रूण हत्या कर दी जाती है। इस प्रथा के कारण जन्म के समय बाल लिंग अनुपात में गिरावट आई है (प्रति 1000 लड़कों पर पैदा होने वाली लड़कियों की संख्या)। रजिस्ट्रार जनरल, भारत सरकार द्वारा देश में जन्म और मृत्यु के नमूना पंजीकरण प्रणाली (एसआरएस) के आंकड़ों के अनुसार 2016–18 के दौरान, भारत में जन्म के समय लिंग अनुपात प्रति 1000 लड़कों पर 899 लड़कियां थीं।	**लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम, 1994** **यह कानून निम्न प्रतिबंध लगाता है** ✸ अधिनियम के तहत अपंजीकृत व्यक्तियों/क्लीनिकों को अल्ट्रासाउंड मशीनों की बिक्री ✸ शब्दों, संकेतों या किसी अन्य तरीके से भ्रूण के लिंग की पहचान उजागर करना ✸ सेक्स का निर्धारण ✸ पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण से संबंधित विज्ञापन **यह कानून नियमन करता है** ✸ भ्रूण की असामान्यता या विसंगतियों के निर्धारण के लिए प्रसव पूर्व निदान तकनीक का उपयोग। **यह कानून रोकता है** ✸ लिंग निर्धारण के लिए प्रसव पूर्व निदान तकनीक का दुरुपयोग **दंड क्या हैं ?** ✸ कोई भी चिकित्सक या व्यक्ति जो अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है – ✸ पहले अपराध के लिए 3 साल तक की कैद और 10,000 रुपये का जुर्माना। ✸ दोबारा अपराध करने पर 5 साल तक कारावास और 50,000 रुपये का जुर्माना। **चिकित्सक का पंजीकरण :** ✸ आरोप तय होने पर राज्य चिकित्सा परिषद से पंजीकरण निलंबित किया जा सकता है। ✸ पहले अपराध में 5 साल की अवधि के लिए तथा दोबारा अपराध तय होने पर स्थायी रूप से पंजीयन रदद् किया जा सकता है।

क्र.	लैंगिक भेदभाव वाली प्रथायें	प्रथाओं को समाप्त करने के लिये कानून
		सेक्स चयन/लिंग निर्धारण सेवाओं की मांग करने वाला कोई भी व्यक्ति – ✸ पहले अपराध के लिए 3 साल तक की कैद और 50,000 रुपये का जुर्माना ✸ दोबारा अपराध के लिये 5 साल तक का कारावास और 1,00,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। एक गर्भवती महिला को अधिनियम के तहत अपराधी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि उसके विरूद्ध अपराध साबित न हो, क्योंकि यह माना जाता है कि उसे अपने पति या अन्य रिश्तेदारों द्वारा सेक्स–निर्धारण के लिए मजबूर किया गया होगा।
2.	**बाल विवाह** **बाल विवाह क्या है?** बाल विवाह का तात्पर्य कानूनी उम्र (लड़की की उम्र 18 वर्ष एवं लड़का की उम्र 21 वर्ष) से पहले किसी व्यक्ति के विवाह से है। यह दंडनीय अपराध है। दहेज निषेध अधिनियम, 1961, 1986 में संशोधित	**बाल विवाह निषेध अधिनियम (संशोधित 2006)** **किसे दंडित किया जा सकता है?** **बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के तहत** ✸ 18 साल से कम आयु की लड़की और 21 साल से कम आयु के लड़के की शादी कराना ✸ जो कोई भी बाल विवाह का आयोजन करता है, या इसके लिये उकसाता है ✸ माता–पिता, अभिभावक, किसी संस्था/संघ के किसी सदस्य जिसके पास बच्चे का प्रभार हो, बाल विवाह के लिए दबाव बना रहा हो, प्रोत्साहन दे रहा हो या अनुमति दे रहा हो ✸ कोई भी व्यक्ति जिसे बाल विवाह का ज्ञान है, लेकिन वह विवाह को रोकने के लिए कोई उपाय नहीं करता है। **सजा क्या है?** ✸ दोषी पर 2 वर्ष तक का कठोर कारावास और 1 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। ✸ बाल विवाह एक जघन्य और गैर–जमानती अपराध है। **रिपोर्ट कहां करें?** ✸ ग्राम बाल संरक्षण समिति ✸ चाइल्ड हेल्पलाइन ✸ पुलिस

क्र.	लैंगिक भेदभाव वाली प्रथायें	प्रथाओं को समाप्त करने के लिये कानून
		✸ बाल संरक्षण अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग **क्या कार्यवाही की जा सकती है ?** ✸ बाल विवाह को कानूनी रूप से अमान्य किया जा सकता है। ✸ प्रभावित बच्चा कानूनी उम्र पूरी होने के 2 साल के भीतर विवाह निरस्त करने के लिए आवेदन दायर कर सकता है। ✸ बाल विवाह को रोकने के लिए, जिम्मेदार अधिकारियों या पंचायत को मौखिक रूप से/ पोस्ट या ईमेल द्वारा लिखित रूप से जानकारी दी जा सकती है।
3.	**दहेज क्या है?** दहेज का अर्थ है किसी भी मूल्यवान वस्तु जैसे कि नकदी, संपत्ति, आभूषण और चलित सामान, जो विवाह के पहले, विवाह के दौरान या विवाह के बाद में अनुबंध के रूप में पति के परिवार द्वारा मांगे जायें।	**किसको हो सकती है सजा?** दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत ✸ दहेज देने या लेने वाला या दहेज के लेनदेन को बढ़ावा देने वाला कोई भी व्यक्ति ✸ कोई भी व्यक्ति शादी के लिये संपत्ति या व्यवसाय में हिस्सेदारी की पेशकश करने के लिए विज्ञापन देता है **सजा क्या है?** ✸ दहेज लेने, देने या बढ़ावा देने वाले को 5 साल की कैद और 15,000 रुपये या दहेज के मूल्य की राशि जो भी अधिक हो जुर्माना ✸ दहेज की मांग के लिए (प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से) 6 महीने की कैद जो 2 साल तक बढ़ सकती है और 10,000 रुपये का जुर्माना ✸ शादी के लिये संपत्ति या व्यवसाय में हिस्सेदारी की पेशकश का विज्ञापन प्रकाशित या प्रसारित करने पर 6 महीने का कारावास जो 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है और 15,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है **कहां रिपोर्ट करें?** ✸ दहेज निषेध अधिकारी ✸ पुलिस ✸ वन स्टॉप सेंटर **धारा 304 (बी) –** यदि किसी लड़की या महिला की शादी के 7 साल के भीतर अप्राकृतिक मौत होती है और यदि उसकी मृत्यु से पहले दहेज संबंधी उत्पीड़न का सबूत है; तो ऐसी मृत्यु को दहेज हत्या/हत्या के रूप में संज्ञान में लिया जा सकता है।

क्र.	लैंगिक भेदभाव वाली प्रथायें	प्रथाओं को समाप्त करने के लिये कानून
4.	**कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013** अधिनियम के अनुसार यौन उत्पीड़न में निम्न अवांछित कार्यों में से कोई एक या अधिक शामिल हैं – ✸ शारीरिक संपर्क, या ✸ यौन संबंध की माँग, या अनुरोध, या ✸ यौनिक टिप्पणी करना, या ✸ अश्लील साहित्य दिखाना, या ✸ यौन प्रकृति का कोई अन्य अवांछित शारीरिक, मौखिक या गैर–मौखिक आचरण	**अधिनियम किसे सुरक्षा प्रदान करता है?** अधिनियम सुरक्षा करता है – ✸ जो महिलाएं किसी कार्यस्थल पर कार्यरत हैं ✸ जो महिलाएं एक ग्राहक, उपभोगता, प्रशिक्षु या दैनिक मजदूरी श्रमिक के रूप में किसी कार्यस्थल पर काम करती हैं **कौन कर सकता है शिकायत?** 1. स्वयं पीड़ित महिला महिला की लिखित सहमति के साथ, निम्न लोग शिकायत कर सकते हैं – 2. शिकायतकर्ता का रिश्तेदार, दोस्त या सहकर्मी या कोई भी व्यक्ति जिसे घटना की जानकारी हो 3. मानसिक अक्षमता के मामले में विशेष शिक्षक/मनोचिकित्सक/मनोवैज्ञानिक 4. महिला की मृत्यु के मामले में उसके कानूनी अभिभावक **कहां रिपोर्ट करें?** ✸ जहां 10 से अधिक कर्मचारी पदस्थ हैं ऐसी संस्था/कार्यालय में गठित आंतरिक समिति को ✸ स्थानीय समिति (असंगठित क्षेत्र और 10 से कम श्रमिकों वाले छोटे प्रतिष्ठानों के लिए) ✸ आईपीसी की धारा 354 ए और 509 के तहत पुलिस स्टेशन में भी शिकायत दर्ज करायी जा सकती है **सजा क्या है?** सजा संगठन के सेवा नियमों के तहत निर्धारित की जाएगी। यदि सेवा नियम उपलब्ध न हो तो – ✸ अनुशासनात्मक कार्रवाई– लिखित माफी, चेतावनी, निंदा और फटकार ✸ पदोन्नति/वेतन वृद्धि पर रोक ✸ नौंकरी से निकालना ✸ परामर्श और/या सामुदायिक सेवा से गुजारना

पंचायत की भूमिका

कानून के क्रियान्वयन में पंचायत क्या कर सकती है ?

- पंचायत शिविरों के माध्यम से कानूनों के बारे में समुदाय को जागरूक कर सकती हैं।
- समय–समय पर रैली का आयोजन कर सामुदायिक जागरूकता कर सकती हैं।
- इन कानूनों का उलंघन करने वालों के बारे में संबंधित विभाग को सूचना प्रदान कर सकती है।
- कानूनी प्रावधानों पर अमल कराने एवं निगरानी हेतु समितियां या समूह गठित कर जिम्मेदारी सौंप सकती है।

आगामी एक माह की कार्ययोजना

- आज दी गई कानूनी जानकारी के अनुसार पंचायत में मौजूद कोई दो कुप्रथाएं जिन्हें इन कानूनों के माध्यम से रोका जा सकता है, इस पर आगामी माह की कार्ययोजना बनायें।

पंचायत :		दिनांक : .....
कुप्रथा	**क्या–क्या करना होगा**	**कौन करेगा**

- आगामी बैठक की तारीख, स्थान एवं समय का निर्धारण कर बैठक का समापन करें।

बैठक – 11

हिंसा पीड़ित महिलाओं के सहयोग हेतु संचालित संस्थायें

- महिला हितैषी पंचायत पर समझ बनाना।
- महिला हितैषी पंचायत का आकलन कर सुधार की योजना बनाना।

समयावधि : 2 घंटा

बैठक संचालन प्रक्रिया के चरण

- सामाजिक बदलाव / महिला सशक्तिकरण पर कोई गीत का सामूहिक गान
- पिछली बैठक में तय किये गये कार्यों के प्रगति की समीक्षा
- हिंसा ग्रस्ति महिलाओं के सहयोग हेतु संचालित संस्थाओं की जानकारी
- इन संस्थाओं द्वारा दी जाने वाली सेवाओं की जानकारी

विगत माह बनायी गई कार्ययोजना की समीक्षा

बैठक की शुरूआत पिछली बैठक में तय किये गये कार्यों की समीक्षा से करें, क्या कर पाये? क्या नहीं कर पाये? क्या परेशानियां आयी? इन बिंदुओं पर सामूहिक चर्चा करें।

सत्र का उद्देश्य

महिला हिंसा की रोकथाम और हिंसा ग्रसित महिलाओं के सहयोग हेतु कई संस्थागत व्यवस्थाएं संचालित हैं। जिनके द्वारा हिंसा पीड़ित महिला को सुरक्षा के साथ–साथ कानूनी, चिकित्सा और आश्रय सहायता प्रदान की जाती है। लेकिन जानकारी के अभाव या इन संस्थाओं तक कैसे पहुंचा जाये अनभिज्ञता के कारण हिंसा ग्रसित महिलाएं वहां तक पहुंच नहीं बना पाती हैं। आज की बैठक में हम हिंसा पीड़ित महिलाओं के सहयोग हेतु संचालित इन्हीं संस्थाओं के बारे में जानेंगे।

- सहजकर्ता सहभागियों से पूछें कि, क्या उन्हें इस तरह की संस्थाओं की जानकारी है जो किसी हिंसा पीड़ित महिला को सहयोग प्रदान करती हैं।
- सहभागियों की प्रतिक्रियाओं को चार्ट पेपर पर नोट करते जायें, जब सहभागियों की प्रतिक्रया आना बंद हो जाये तो नीचे दी गई जानकारी का उपयोग कर विभिन्न संस्थागत व्यवस्थाओं और उनके द्वारा दी जाने वाली सेवाओं की जानकारी प्रदान करें।

1. सखी वन स्टॉप सेन्टर

हिंसा ग्रस्त महिलाओं को एक ही छत के नीचे सभी प्रकार की सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, वर्ष 2015 में केन्द्र सरकार द्वारा इस योजना की शुरूआत की गई थी। मध्यप्रदेश के 52 जिलों में से निवारी जिला को छोड़कर सभी जिलों में सखी वन स्टॉप सेंटर संचालित हैं। इन केन्द्रों पर सभी प्रकार की हिंसा ग्रस्त महिलाओं और बालिकाओं को एक ही स्थान पर सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध करायी जाती है।

सखी वन स्टॉप सेन्टर से दी जाने वाली सेवाएं

- आपातकालीन स्थिति में बचाव और सुरक्षा
- चिकित्सा सहायता
- थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने में सहायता
- मानसिक, सामाजिक सहयोग एवं परामर्श
- कानूनी सहायता और परामर्श
- अस्थाई आश्रय
- वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा

छतरपुर जिले में संचालित वन स्टॉप सेन्टर का फोन नंबर – 07682–244250

2. महिला हेल्पलाइन (24 घंटे)

मध्यप्रदेश में महिला अपराधों के विरूद्ध त्वरित कार्यवाही के लिए राज्य स्तरीय महिला अपराध हेल्पलाइन संचालित है। इस महिला हेल्पलाइन का नंबर 1090 है। इस नंबर पर कहीं से भी कॉल किया जा सकता है। कॉल मिलने पर पुलिस द्वारा तत्काल सहायता उपलब्ध करायी जाती है। इस हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत करने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाती है, साथ ही 24 घंटे में दी गई सहायता का फीडबैक भी लिया जाता है।

3. सी.एम. हेल्पलाइन

सी.एम. हेल्पलाइन पर सीधे फोन नंबर 181 को डायल कर कहीं से कभी भी शिकायत दर्ज करायी जा सकती है। ये शिकायत संबंधित विभाग या थाने में भेज दी जाती है। इस नंबर पर प्राप्त होने वाली शिकायतों की निगरानी स्वयं मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है।

4. डायल 100

प्रदेश के समस्त नागरिकों को त्वरित पुलिस सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 1 नवंबर 2015 से डायल–100 सेवा सेवा का संचालन किया जा रहा है। इस नंबर को डायल करने पर शिकायत कर्ता की लोकेशन भी पुलिस को मिल जाती है और पुलिस घटना स्थल पर पहुंच कर सहायता उपलब्ध कराती है।

5. परिवार परामर्श केन्द्र

पारिवारिक विवादों, मतभेदों में सुलह कराने हेतु रैफरल एवं पुनर्वास सेवा मुफ्त प्रदान की जाती है।

6. जिला विधिक सहायता केन्द्र – पीड़ित महिला को निःशुल्क वकील की सहायता।

7. **अल्पवास/आश्रय गृह –** हिंसा एवं बाढ़ पीड़ित, प्रवासी महिलाओं को आश्रय।

8. **उमंग हेल्पलाइन नंबर –** 14425 नंबर पर कॉल कर महिलायें परामर्श ले सकती हैं।

9. **संरक्षण अधिकारी –** विकासखंड एवं जिला स्तर पर पदस्थ परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग

10. **पुलिस –** स्थानीय पुलिस थाना / महिला अपराध शाखा

11. **ऊर्जा डेस्क**

पीड़ित महिलाओं को तत्काल मदद उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश के 180 पुलिस थानों में ऊर्जा (अर्जेंट रिलीफ एंड जस्ट एक्शन) डेस्क बनायी गई है। इस डेस्क में महिला पुलिस अधिकारी ही कार्य करती हैं। इसका उद्देश्य पीड़ित महिलाओं की शिकायत पर तत्काल कार्यवाही कर उन्हें फौरन न्याय दिलाना है।

- पंचायत प्रतिनिधियों के साथ इस बात को लेकर चर्चा करें कि वह अपनी पंचायत में इन संस्थागत व्यवस्थाओं का प्रचार–प्रसार कैसे करेंगे।

पंचायत की भूमिका

पंचायत इन व्यवस्थाओं के प्रचार–प्रसार हेतु निम्न प्रयास कर सकती है

- सार्वजनिक स्थलों पर दीवार लेखन
- ग्राम सभा की बैठकों में जानकारी
- जागरूकता शिविरों का आयोजन
- स्व सहायता समूह और ग्राम संगठनों का सहयोग
- सोशल मीडिया का उपयोग

बैठक –8 : महिलाओं एवं लड़कियों के लिये संचालित प्रमुख योजनाओं के लाभ हेतु पात्रता, दस्तावेज एवं लाभ की जानकारी

क्र.	योजना का नाम	विभाग	पात्रता	आवश्यक दस्तावेज	आवेदन कहां करें	मिलने वाला लाभ
1.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन	सामाजिक न्याय विभाग	• 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की विधवा (कल्याणी) महिलाएं। • समग्र पोर्टल पर नाम दर्ज हो।	1. पति का मृत्यु प्रमाण पत्र 2. परित्यक्ता की स्थिति में परित्यक्ता प्रमाण पत्र 3. आधार कार्ड 4. समग्र आई.डी. 5. आधार लिंक बैंक खाता 6. पासपोर्ट साइज के तीन फोटो	• एम.पी.आनलाइन/कामन सर्विस सेन्टर (सीएससी) या लोक सेवा केन्द्र पर आवेदन कर सकते हैं। • हितग्राही स्वयं भी नीचे दी गई लिंक के माध्यम से आवेदन कर सकता है। http://socialsecurity.mp.gov.in/	प्रतिमाह 600 रूपये लाभार्थी के बैंक खाते में जमा किये जाते हैं।
2.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन	सामाजिक न्याय विभाग	• बीपीएल सूची में नाम हो • आयु 60 वर्ष से अधिक हो • समग्र पोर्टल पर पंजीयन अनिवार्य	1. बीपीएल कार्ड 2. आयु संबंधी प्रमाण पत्र 3. आधार कार्ड 4. समग्र आई.डी. 5. आधार लिंक बैंक खाता 6. पासपोर्ट साइज के तीन फोटो	• एम.पी.आनलाइन/कामन सर्विस सेन्टर (सीएससी) या लोक सेवा केन्द्र पर आवेदन कर सकते हैं। • हितग्राही स्वयं भी नीचे दी गई लिंक के माध्यम से आवेदन कर सकता है। http://socialsecurity.mp.gov.in/	प्रतिमाह 600 रूपये लाभार्थी के बैंक खाते में जमा किये जाते हैं।

क्र.	योजना का नाम	विभाग	पात्रता	आवश्यक दस्तावेज	आवेदन कहां करें	मिलने वाला लाभ
3.	मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना	सामाजिक न्याय विभाग	1. दम्पति जिनकी संतान के रूप में केवल कन्याएं हो और उनका विवाह हो चुका हो 2. दम्पति में से किसी एक की न्यूनतम आयु 60 वर्ष हो 3. दम्पति आयकर दाता न हो	1. विवाहित कन्याओं का अभिभावक होने तथा कोई पुत्र न होने का पंचायत का प्रमाण पत्र 2. आयकर दाता न होने का, स्व–घोषित प्रमाण पत्र 3. आयु एवं निवास संबंधी प्रमाण पत्र 4. दम्पति का संयुक्त फोटो/एकल होने की स्थिति में एक का फोटो 5. विधवा/परित्यक्ता की स्थिति में पति की मृत्यु/परित्यक्ता प्रमाण पत्र 6. आधार लिंक बैंक खाता 7. समग्र आई.डी.	• एम.पी. आनलाइन/कामन सर्विस सेन्टर (सीएससी) या लोक सेवा केन्द्र पर आवेदन कर सकते हैं। • हितग्राही स्वयं भी नीचे दी गई लिंक के माध्यम से आवेदन कर सकता है। http://socialsecurity.mp.gov.in/	प्रतिमाह 600 रूपये लाभार्थी के बैंक खाते में जमा किये जाते हैं।
4.	मुख्यमंत्री अविवाहिता पेंशन योजना	सामाजिक न्याय विभाग	1. महिला अविवाहित हो और आयु 50 वर्ष या अधिक हो 2. आयकर दाता न हो 3. शासकीय कर्मचारी/अधिकारी न हो 4. महिला परिवार पेंशन	1. अविवाहित होने का प्रमाण पत्र 2. आयकर दाता न होने का, स्व–घोषणा पत्र 3. आयु संबंधी प्रमाण 4. स्वयं के तीन फोटो 5. आधार लिंक बैंक	• एम.पी. आनलाइन/कामन सर्विस सेन्टर (सीएससी) या लोक सेवा केन्द्र पर आवेदन कर सकते हैं। • हितग्राही स्वयं भी नीचे दी गई लिंक के माध्यम से आवेदन कर सकता है।	प्रतिमाह 600 रूपये लाभार्थी के बैंक खाते में जमा किये जाते हैं।

क्र.	योजना का नाम	विभाग	पात्रता	आवश्यक दस्तावेज	आवेदन कहां करें	मिलने वाला लाभ
			का लाभ न ले रही हो 5. समग्र पोर्टल पर नाम दर्ज हो	खाता	http://socialsecurity.mp.gov.in/	
5.	प्रसूति सहायता योजना	श्रम विभाग	1. निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीबद्ध महिला/पुरूष 2. प्रसूता की आयु 18वर्ष से अधिक हो	1. श्रमिक पंजीयन कार्ड 2. प्रसूता प्रमाण पत्र 3. समग्र आई.डी. 4. समग्र एवं आधार लिंक बैंक खाता	• ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत और शहरी क्षेत्र में नगर निगम/नगर पालिका/नगर परिषद कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं।	महिला को गर्भावस्था की अंतिम तिमाही में 45 दिन की मजदूरी तथा प्रसव बाद 1000 रूपये पौष्टिक आहार के लिये, पुरूष श्रमिक को पत्नी के प्रसव के बाद 15 दिन की मजदूरी तथा 15 दिन का पितृत्व अवकाश दिया जाता है।
6.	लाड़ली लक्ष्मी योजना	महिला एवं बाल विकास विभाग	1. माता–पिता मध्य प्रदेश के निवासी हों, 2. आंगनवाड़ी केन्द्र में पंजीयन हो 3. जन्म से 1 वर्ष के भीतर आवेदन किया हो 4. माता–पिता आयकर दाता न हों 5. दूसरी कन्या की स्थिति में माता या पिता ने परिवार नियोजन अपना लिया हो	1. बालिका का जन्म प्रमाण पत्र 2. मूल निवासी प्रमाण पत्र 3. बालिका के माता या पिता द्वारा परिवार नियोजन अपनाए जाने संबंधी प्रमाण पत्र 4. माता–पिता के साथ बालिका का फोटो 5. आयकर दाता न होने का प्रमाण पत्र	• आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के माध्यम से परियोजना कार्यालय, महिला एवं बाल विकास विभाग में आवेदन कर सकते हैं।	कक्षा 6 में प्रवेश से लेकर 21 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक कुल 1,18000/– रूपए प्रदान किए जाते हैं।
7.	सुकन्या समृद्धि योजना	भारतीय डाक विभाग	1. योजना का लाभ केवल दो कन्याओं तक सीमित 2. कन्या के जन्म से 10	1. कन्या का जन्म प्रमाण पत्र 2. अभिभावक और कन्या दोनों की समग्र आई	• पोस्ट ऑफिस या किसी भी राष्ट्रीकृत बैंक में कन्या के नाम से सुकन्या समृद्धि खाता खुलवाया जा सकता है।	• जमा राशि पर फिक्स डिपाजिट योजना से अधिक ब्याज। • 18 साल पूरी होने पर आधी

क्र.	योजना का नाम	विभाग	पात्रता	आवश्यक दस्तावेज	आवेदन कहां करें	मिलने वाला लाभ
			वर्ष की आयु पूर्ण होने तक खाता खोला जा सकता है । 3. कन्या की आयु 21 साल पूर्ण होने या 18 साल के बाद विवाह होने तक खाते को चलाया जा सकता है। 4. एक वर्ष में न्यूनतम 250 रूपये जमा कराना अनिवार्य है। 5. एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 1 लाख 50 हजार रूपये जमा कराए जा सकते हैं।	डी 3. अभिभावक और कन्या दोनों का आधार कार्ड 4. अभिभावक के पते का प्रमाण 5. अभिभावक और कन्या दोनों के पासपोर्ट साइज के दो–दो फोटो		राशि शिक्षा हेतु निकाली जा सकती है। • 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर कन्या के विवाह हेतु राशि निकाली जा सकती है।
8.	प्री मैट्रिक स्कालरशिप	पिछड़ा वर्ग एवं अजा एवं अजजा कल्याण विभाग	1. सरकारी या पंजीकृत निजी स्कूलों में अजा अजजा एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के कक्षा 1 से 10 तक के नियमित विद्यार्थी। 2. परिवार की सालाना आय 1 लाख रूपये से अधिक न हो।	1. जाति प्रमाण पत्र 2. विद्यार्थी का आधार कार्ड 3. पिछली परीक्षा की अंकसूची 4. आय प्रमाण पत्र 5. समग्र आई.डी. 6. आधार कार्ड 7. मूल निवासी प्रमाण पत्र 8. बैंक पासबुक की फोटोकॉपी	• छात्र जिस संस्था में अध्ययनरत हो, उसी संस्था में आवेदन करना होगा।	1. कक्षा 1 से 5 तक की अजजा की छात्राओं को 250 रुपये 2. कक्षा 6 से 8 तक की अजा व अजजा की छात्राओं को 600 एवं छात्रों को 200 रुपये तथा पिछड़ा वर्ग की छात्राओं को 300 एवं छात्रों को 200 रूपये 3. कक्षा 9 से 10 तक के अजा/ अजजा वर्ग के छात्र/ छात्राओं को 2250

क्र.	योजना का नाम	विभाग	पात्रता	आवश्यक दस्तावेज	आवेदन कहां करें	मिलने वाला लाभ
				9. पासपोर्ट साइज का एक फोटो		एवं पिछड़ा वर्ग की छात्राओं को 400 एवं छात्रों को 300 रूपये छात्रवृति दी जाती है।
9.	पोस्ट मैट्रिक स्कालरशिप – पिछड़ा वर्ग	उच्च शिक्षा विभाग	1. छात्र/छात्रा मध्यप्रदेश के मूल निवासी हो। 2. अन्य पिछड़ा वर्ग जाति से हो। 3. पिछली कक्षा उत्तीर्ण हो। 4. माता–पिता की सालाना आय 3 लाख रूपये से अधिक न हो।	1. पिछड़ा वर्ग जाति प्रमाण पत्र 2. मूल निवासी प्रमाण पत्र 3. पिछली परीक्षा की अंकसूची 4. आय प्रमाण पत्र 5. समग्र आई.डी. 6. बैंक खाता विवरण 7. पासपोर्ट साइज का एक फोटो 8. कॉलेज एवं पाठयक्रम का कोड	• स्टेट स्कालरशिप पोर्टल की लिंक http://scholarshipportal.mp.nic.in/Public/Student_Search.aspx पर विद्यार्थी स्वयं या एम.पी. ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकता है।	• छात्रवृति की राशि कॉलेज और पाठयक्रम के आधार पर तय की जाती है। छात्रों के माता–पिता/अभिभावक की सालाना आय 3 लाख रूपये या इससे कम होने पर 100 प्रतिशत छात्रवृति प्रदान की जाती है।
10.	पोस्ट मैट्रिक स्कालरशिप – अजा एवं अजजा	पिछड़ा वर्ग एवं राज्य शासन अजा एवं अजजा कल्याण विभाग	1. अजा या अजजा वर्ग के छात्र एवं छात्रा 2. कक्षा 6 से 10 तक के सरकारी या पंजीकृत निजी स्कूल में नियमित अध्ययनरत छात्र एवं छात्रा 3. परिवार की सालाना आय 6 लाख या उससे कम हो	1. अजा या अजजा का जाति प्रमाण पत्र 2. आधार कार्ड 3. समग्र आई.डी. 4. बैंक खाता 5. पासपोर्ट साइज का एक फोटो	• आवेदन संबंधित स्कूल में करना होगा। स्कूल प्रशासन द्वारा अपनी आई.डी. से State Scholarship Portal 2.0, Madhya Pradesh पर सबमिट किया जाता है अथवा एम.पी. ऑनलाइन के माध्यम से भी आवेदन किया जा सकता है।	• अजा एवं अजजा वर्ग के प्रत्येक छात्र को छात्रवृति प्रदान की जाती है। • छात्रवृति की राशि स्कूल के प्रकार सरकारी/निजी तथा कक्षा अनुसार दी जाती है। • जिन छात्रों के माता–पिता की आय 5 से 6 लाख के बीच है उन्हें 50 प्रतिशत छात्रवृति दी जाती है।

नोट्स

समर्थन के बारे में .....

समर्थन एक गैर सरकारी संस्था है जो विगत 25 वर्षों से मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में सहभागी अभिशासन एवं विकास को बढ़ावा देने की दृष्टि से काम कर रही है। हमारा प्रयास नागर समाज की संस्थाओं, पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों की क्षमतावृद्धि कर उन्हें मजबूत बनाना है, ताकि नागरिकों और राज्य के बीच एक सहयोगी सेतु निर्मित हो जिससे वंचितों की आवाज बुलन्द हो सके।

संस्था मुख्यतः सहभागी शोध एवं जमीनी सच्चाइयों से उभरे ठोस आंकड़ों के आधार पर ग्रामीण एवं शहरी आम नागरिकों के हितों में मौलिक अधिकारों एवं प्राथमिक सेवाओं की पैरवी करती है। हमारा लक्ष्य पंचायती राज संस्थाओं और बुनियादी स्तर के समूहों को मजबूत करना एवं उनकी क्षमतावृद्धि करना है। ताकि वे विकेन्द्रीकृत विकास और अभिशासन के मुद्दों को आगे बढ़ा सकें।

समर्थन द्वारा वर्ष 2018 में यूएनएफपीए के सहयोग से युवाओं की सूचना और सेवाओं तक पहुंच को बेहतर बनाने में विभागीय अभिसरण मॉडल विकसित करने के उद्देश्य से छतरपुर जिले में अपने काम की शुरूआत की। विगत एक वर्ष से संस्था लैंगिक भेदभाव और महिलाओं के साथ होने वाली घरेलू हिंसा की रोकथाम हेतु छतरपुर जिले में कार्य कर रही है। जिसके तहत घरेलू हिंसा की रोकथाम एवं निराकरण में पंचायती राज संस्थाओं और अन्य हितधारक, जैसे – आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, ए.एन.एम., महिला शक्ति समूह, युवा, संरक्षण अधिकारी, सेवा प्रदाता संस्थाओं की सक्रिय भूमिका स्थापित करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

स म र्थ न

सेन्टर फॉर डेवलपमेन्ट सपोर्ट (समर्थन)

प्रधान कार्यालय : 36, ग्रीन एवेन्यू, चूना भट्टी कोलार रोड, भोपाल-462016

ई-मेल info@samarthan.org, वेबसाइट - www.samarthan.org